सप्तदश माला, खंड 23, अंक 18 गुरुवार, 23 मार्च, 2023
02 चैत्र, 1945 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 23 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

श्री उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

श्री चंदर मोहन
अपर सचिव

श्री बसन्त प्रसाद
निदेशक

श्री शैलेश कुमार
संयुक्त निदेशक

श्री संदीप कुमार
उप निदेशक

© 2023 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रोनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 23, ग्यारहवां सत्र, 2023 / 1945 (शक)
अंक 18, गुरुवार, 23 मार्च, 2023 / 02 चैत्र, 1945 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि और निधन संबंधी उल्लेख	11-13
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 321(23.03.2023)	15-16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 320 (22.03.2023) और 322 से 340 (23.03.2023)	17
अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680 (22.03.2023 और 3681 से 3910 (23.03.2023)	

सभा पटल पर रखे गए पत्र 18-34

वित्त संबंधी स्थायी समिति

54वें से 58वां प्रतिवेदन 35

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

18वां तथा 19वां प्रतिवेदन 36

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

45वें से 47वां प्रतिवेदन 37

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

319वें से 321वां प्रतिवेदन 38

'विमानन उद्योग को हानि' के बारे में दिनांक 02.02.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 201 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर की शुद्धि में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण 39-47

मंत्री द्वारा वक्तव्य

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित चीन, पाकिस्तान और भूटान के साथ की गई संधि/समझौते के विशेष संदर्भ में जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों सहित देश में बाढ़ प्रबंधन के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडु 48

नियम 377 के अधीन मामले 49-75

(एक) नेपाली भाषा संवर्धन परिषद का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री राजू बिष्ट 49-50

(दो) गंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उन किसानों को, जिनकी फसल भारी वर्षा और ओलावृष्टि से नष्ट हो गई है, मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री निहाल चन्द चौहन 50-51

(तीन) राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री मोहन मंडावी 51

(चार) कृषि उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने और इसके हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डॉ. ढालसिंह बिसेन 52

(पांच) असम ऊर्जा संस्थान में बी.टेक पाठ्यक्रम शुरू किए जाने के बारे में

श्री तपन कुमार गोगोई 53

(छः) चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सी.सी.एल. द्वारा भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित भू-स्वामियों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सिंह 54-55

(सात) सहारा ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने वाले वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के धन की वापसी के बारे में

श्री रामदास तडस 56

(आठ) दिल्ली में पानी की कमी के बारे में

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा 57

(नौ) महाराष्ट्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत 58

(दस) पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले में एफ.एम. एयर (एल.आर.एस.) की स्टूडियो सुविधाओं सहित एक डेडिकेटेड ट्रांसमीटर की स्थापना के बारे में

श्री कुनार हेम्ब्रम 59

(ग्यारह) शाहजहाँपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आलू आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने और क्षेत्र से आलू के निर्यात के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री अरुण कुमार सागर 60

(बारह) संजय-डुबरी राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व के विकास तथा टाइगर रिजर्व में पर्यटक सुविधाओं के लिये निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रीती पाठक 61

(तेरह) श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी के बारे में

श्री सु. थिरुनवुक्करासर 62

(चौदह) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों के बारे में

श्री वी.के. श्रीकंदन 63

(पंद्रह) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के मानदंडों की समीक्षा के बारे में

श्री राजमोहन उन्नीथन 64

(सोलह) सलेम जिले के लिए एस.आई.टी.पी. (एकीकृत वस्त्र पार्क योजना) और आई.पी.डी.एस. (एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना) को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस.आर. पार्थिबन 65

(सत्रह) किसानों पर भीषण गर्मी का प्रभाव कम किए जाने की आवश्यकता

प्रो. सौगत राय 66

(अट्ठारह) वर्धमान पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी की स्थिति के बारे में

श्री सुनील कुमार मंडल 67

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश में नई प्रस्तावित कोटिपल्ली-नरसापुरम रेललाइन के निर्माण के बारे में

श्री रघु राम कृष्ण राजू 68

(बीस) देश में विचाराधीन कैदियों की दयनीय स्थिति के बारे में

श्री कुरुवा गोरांतला माधव 69

(इक्कीस) गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता के लिए दिए जाने वाले निर्धनता अनुदान के अंर्तगत सहायता बढ़ाए जाने की आवश्यकता

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे 70

(बाईस) वाल्मीकिनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली का एक केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार 71

(तेईस) आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के बारे में

श्री चंद्र शेखर साहू 72

(चौबीस) उत्तर प्रदेश के अमरोहा और हापुड़ जिले में रेत और मिट्टी के अवैध खनन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता

कुंवर दानिश अली 73

(पच्चीस) रामानाथपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नारियल उत्पादों के उत्पादन एवं परिरक्षण हेतु एक गोदाम और एक उन्नत कैनिंग फैक्ट्री के संयंत्र की स्थापना के बारे में

श्री के. नवासखनी 74

(छब्बीस) भारत के उच्चतम न्यायालय के परिसर में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने के बारे में

डॉ. थोल तिरुमावलवन 75

केंद्रीय बजट (2023-2024) - अनुदानों की मांगें

सभा की स्वीकृति के लिए शेष बची समस्त अनुदानों की मांगें

(गिलोटीन) 78-119

कटौती प्रस्ताव 78-111

कटौती प्रस्ताव-अस्वीकृत 111

मांगें – स्वीकृत 112-119

विनियोग विधेयक, 2023 120-122

विचार करने के लिए प्रस्ताव 120

श्रीमती निर्मला सीतारमण 120

खंड 2 से 4 और 1 122

पारित करने के लिए प्रस्ताव 122

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 23 मार्च, 2023 / 02 चैत्र, 1945 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

… (व्यवधान)

[हिन्दी] **माननीय अध्यक्ष :** आप सभी बैठ जाइए।

<u>पूर्वाह्न 11.01 बजे</u>

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि
और
निधन संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्ष 1931 में आज ही के दिन भारत माता के तीन महान सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी।

इन महान वीरों ने भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अल्प आयु में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और एक स्वाधीन एवं सशक्त राष्ट्र की नींव रखी। इन शहीदों की वीरता, शौर्य और देशभक्ति हमारे युवाओं और समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी। इस अवसर पर, हम इन महान सपूतों की शहादत को नमन करते हैं।

हम सदन एवं समस्त राष्ट्र की ओर से इन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने जीवन में उनके महान विचारों एवं आदर्शों के अनुसरण का संकल्प लेते हैं।

माननीय सदस्यगण, अत्यंत दु:ख के साथ मुझे सभा को हमारे तीन पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री सत्यब्रत मुखर्जी पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री मुखर्जी मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के सदस्य थे।

उन्होंने रसायन और उर्वरक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अंतरिक्ष, योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा विभाग में केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर भी कार्य किया। श्री सत्यब्रत मुखर्जी का निधन 3 मार्च, 2023 को 90 वर्ष की आयु में कोलकाता में हुआ।

श्री सोहन पोटाई अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य के कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं और 13वीं लोक सभा के सदस्य थे तथा छत्तीसगढ़ के कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं और 15वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री पोटाई ने रेलवे, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा खाद्य उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण संबंधी समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री सोहन पोटाई का निधन 9 मार्च, 2023 को 64 वर्ष की आयु में कांकेर में हुआ।

श्री रंगास्वामी ध्रुवनारायण कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं और 16वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री ध्रुवनारायण रक्षा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, प्राक्कलन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा रसायन और उर्वरक संबंधी समितियों के सदस्य थे। इससे पूर्व, श्री रंगास्वामी जी दो कार्यकाल के लिए कर्नाटक विधान सभा के सदस्य थे।

श्री रंगास्वामी ध्रुवनारायण का निधन 11 मार्च, 2023 को 61 वर्ष की आयु में मैसूर में हुआ।

यह सभा हमारे पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ देर मौन रहेगी।

<u>पूर्वाह्न 11.03 बजे</u>

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

———————

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या - 321

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न काल के बाद बोलिएगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतना नाराज मत होइए। प्रश्न काल के बाद मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको प्रश्नकाल के बाद मैं बोलने की इजाजत दूंगा। मैंने किसी भी माननीय सदस्य को बोलने से नहीं रोका है। नियमों-प्रक्रियाओं के तहत आप सभी माननीय सदस्यों ने सदन के अंदर अपनी पूरी बात रखी है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आज भी आप सभी से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि हर माननीय सदस्य को बोलने की स्वतंत्रता है। नियमों-प्रक्रियाओं के तहत सभी माननीय सदस्य इस सदन में बोल सकते हैं। यह सदन आपका अपना है।

… (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

[1]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या - 321

(प्रश्न संख्या 321)

माननीय अध्यक्ष : श्री गणेश सिंह जी, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहूंगा। ... (व्यवधान) मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि पूरे देश भर में नौ करोड़ से ज्यादा घरों में महिलाओं के नाम पर जो एलपीजी के कनेक्शन्स दिए गए हैं, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक मिनट के लिए रुकिए।

… (व्यवधान)

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>पूर्वाह्न 11.08 बजे</u>

(इस समय डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, श्री गौरव गोगोई और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आपने कैसे फैसला कर लिया कि मैं नहीं बोलने दूंगा? मैं चेयर से बोल रहा हूं कि मैं नियमों-प्रक्रियाओं के तहत बोलने की इजाजत दूंगा।

… (व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : आज उन घरों और झोपड़ियों में भी एलपीजी गैस पहुंच गई है, जहां कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ... (व्यवधान) एलपीजी कनेक्शन सिर्फ बड़े घरों में हुआ करता था, लेकिन आज गरीबों के घरों में भी एलपीजी के कनेक्शन्स पहुंच गए हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि क्या वे बड़े सिलेंडरों की जगह छोटे सिलेंडर बनाकर उन्हें गरीबों को देने की तैयारी कर रहे हैं? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, देश चाहता है कि सदन चले। उनके मुद्दों पर चर्चा हो, उनकी कठिनाइयों पर चर्चा हो। मेरी कोशिश रहती है कि सदन चले। आप अगर सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, अगर सदन में नारेबाजी करना चाहते हैं, तो सदन की कार्यवाही आज दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

[2*]प्रश्नों के लिखित उत्तर

{तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 320 (22.03.2023)

और 322 से 340 (23.03.2023)

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680(22.03.2023)

और 3681 से 3910 (23.03.2023)}

पूर्वाह्न 11.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———————

[2*] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल *पीठासीन हुए*)

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

अपराह्न 2.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आईटम नंबर-3 – श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं मंत्रियों द्वारा पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

पंद्रहवीं लोक सभा

1.	विवरण सं. 35	तीसरा सत्र, 2009 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9227/17/23]
2.	विवरण सं. 33	ग्यारहवां सत्र, 2012 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9228/17/23]
3.	विवरण सं. 33	तेरहवां सत्र, 2013 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9229/17/23]

सोलहवीं लोक सभा

4.	विवरण सं. 23	ग्यारहवां सत्र, 2017 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9230/17/23]
5.	विवरण सं. 16	सोलहवां सत्र, 2018-19 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9231/17/23]

6. विवरण सं. 15 सत्रहवां सत्र, 2019

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9232/17/23]

सत्रहवीं लोक सभा

7. विवरण सं. 18 पहला सत्र, 2019

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9233/17/23]

8. विवरण सं. 14 दूसरा सत्र, 2019

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9234/17/23]

9. विवरण सं. 13 तीसरा सत्र, 2020

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9235/17/23]

10. विवरण सं. 13 चौथा सत्र, 2020

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9236/17/23]

11. विवरण सं. 13 पांचवां सत्र, 2021

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9237/17/23]

12.	विवरण सं. 12	छठा सत्र, 2021 [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल.टी.9238/17/23]
13.	विवरण सं. 6	सातवां सत्र, 2021 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9239/17/23]
14.	विवरण सं. 6	आठवां सत्र, 2022 [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल.टी.9240/17/23]
15.	विवरण सं. 3	नौवां सत्र, 2022 [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल.टी.9241/17/23]
16.	विवरण सं. 1	दसवां सत्र, 2022 [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल.टी.9242/17/23]
17.	विवरण सं. 1	ग्यारहवां सत्र, 2023 [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल.टी.9243/17/23]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 5 तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 6016(अ) जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4200(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 6017(अ) जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 6018(अ) जो 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 155(अ) जो 10 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 330घ को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(पाँच) का.आ. 156(अ) जो 10 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छः) का.आ. 157(अ) जो 10 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का.आ. 197(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 दिसम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4491(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का.आ. 198(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ. 199(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ. 200(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का.आ. 201(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का.आ. 202(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 102ग के पल्लेल-चंदेल खंड के विकास और अनुरक्षण संबंधी कार्य का निर्वहन करेगा।

(तेरह) का.आ. 203(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ. 300(अ) जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पंद्रह) का.आ. 763(अ) जो 17 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 244 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का.आ. 764(अ) जो 17 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 444 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 765(अ) जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अट्ठारह) का.आ. 864(अ) जो 23 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ. 927(अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केरल राज्य में नये राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 866 की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ. 978(अ) जो 1 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(इक्कीस) का.आ. 979(अ) जो 1 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का.आ. 1154(अ) जो 10 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में नये राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 375 की घोषणा को अधिसूचित किया गया है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9244/17/23]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 401(अ) जो 25 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-91 के अलीगढ़-कानपुर खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 402(अ) जो 25 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में एनएच-275 के बैंगलुरु-निदाघट्टा खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 404(अ) जो 25 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-161 के अकोला-मेडसी-वाशिम खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 490(अ) जो 2 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-161 के उसमें उल्लिखित खंडों की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 491(अ) जो 2 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में एनएच-09 (पुराना एन.एच.-10) के दिल्ली-हरियाणा सीमा से रोहतक खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 492(अ) जो 2 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में एनएच-09 के मलोट-मंडी-डबवाली खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ. 493(अ) जो 2 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केरल राज्य में एनएच-85 के वोडीमेट्टू/मुन्नार खंड की पेव्ड सोल्डर वाली दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ. 626(अ) जो 9 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-326क के एपी/ओडिशा सीमा से नरसन्नापेट्टा खंड की पेव्ड सोल्डर वाली दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ. 629(अ) जो 10 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में एनएच-922 के भोजपुर-बक्सर खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ. 630(अ) जो 10 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में एनएच-352 (पुराना एन.एच.-71) के जींद से रोहतक खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 654(अ) जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में एनएच-215 (पुराना एन.एच.-520) के कोयडा से राजामुंडा खंड की चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ. 797(अ) जो 22 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में एनएच-234 (नया एन.एच.-75) के आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु सीमा से वेल्लोर में समाप्त होने वाले खंड की 2/4 लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 798(अ) जो 22 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-965 के मोहोल-वाखड़ी-खुडूस खंड की 2/4 लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ. 950(अ) जो 1 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-214क के मछलीपट्टनम से अवनीगड्डा खंड की पेव्ड सोल्डर वाली दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पंद्रह) का.आ. 953(अ) जो 1 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 जुलाई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2563(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9245/17/23]

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारतीय होटल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारतीय होटल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9246/17/23]

(ख) (एक) रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9247/17/23]

(ग) (एक) पवन हंस लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पवन हंस लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9248/17/23]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): महोदय,

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों का साझाकरण (पहला संशोधन) विनियम, 2003 जो 1 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/250/2019/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क, जुर्माना और प्रभार) विनियम, 2023 जो 17 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/04 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9249/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री राजीव चन्द्रशेखर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 27 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एचक्यू-13011/2/2021-अधिप्रमा.-दो (2023 का संख्यांक 1) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्यनिर्धारण) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 जो 27 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एचक्यू-13062/4/2021-अधिप्रमा.-

दो (2023 का संख्यांक 2) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9250/17/23]

(2) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजीटल मीडिया आचार-संहिता) नियम, 2021 जो 25 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 139(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9251/17/23]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) क्रेडिट गारण्टी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्रेडिट गारण्टी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल.टी.9252/17/23]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ओमनीबस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओमनीबस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9253/17/23]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (तरलीकृत प्राकृतिक गैस कंपनियों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) संशोधन विनियम, 2023 जो 15 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/टीईसीएच/4-टी4एसएलएनजी(1)/2019 (पी-3317) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9254/17/23]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9255/17/23]

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कारण)।

(एक) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9256/17/23]

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 27 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एलएम/पीएम/0001/2020/यूडीएवाई/एमओएम में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 1487(अ) जो 4 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1053(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9257/17/23]

(3) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.9258/17/23]

———————

अपराह्न 2.01½ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

54वें से 58वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन तथा लोक उद्यम विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 54वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 55वां प्रतिवेदन।

(3) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 56वां प्रतिवेदन।

(4) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 57वां प्रतिवेदन।

(5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 58वां प्रतिवेदन।

———————

अपराह्न 2.02 बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

18वां और 19वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदान की मांगों (2023-24)' संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

(2) 'बाघजन गैस रिसाव घटना के विशेष संदर्भ में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के तेल प्रतिष्ठानों की संरक्षा और सुरक्षा' विषय संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

———————

अपराह्न 2.02½ बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

45वें से 47वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग) की अनुदानों की मांगों – 2023-24 के बारे में समिति (2022-23) का 45वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों – 2023-24 के बारे में समिति (2022-23) का 46वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों - 2023-24 के बारे में समिति (2022-23) का 47वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

———————

अपराह्न 2.02¾ बजे

उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति

319वें से 321वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(एक) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों – 2022-23 के बारे में समिति के 316वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 319वां प्रतिवेदन।

(दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 320वां प्रतिवेदन।

(तीन) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 321वां प्रतिवेदन।

———————

अपराह्न 2.03 बजे

'विमानन उद्योग को हानि' के बारे में दिनांक 02.02.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 201 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर की शुद्धि में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण[3*]

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह): महोदय, मैं 'विमानन उद्योग को हानि' के बारे में श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा 2.2.2023 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 201 के उत्तर (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में शुद्धि करने और (दो) उत्तर की शुद्धि में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

[3*]सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9225/17/23

जनरल (डॉ)विजय कुमार सिंह
पीवीएसएम ,एवीएसएम, वाईएसएम (सेवानिवृत)

राज्य मंत्री
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग ;नागर विमानन, भारत सरकार

संख्या एच-11016/35/2023-ईआर अनुभाग- एमओसीए 15 फरवरी, 2023

सेवा में,

महासचिव
लोक सभा
संसद भवन,
नई दिल्ली

विषय: विमानन उद्योग को हुई हानि के संबंध में दिनांक 2 फरवरी, 2023 को लोक सभा में पूछे गए लिखित प्रश्न संख्या 201 के संबंध में उत्तर में शुद्धि विवरण प्रस्तुत करने हेतु सूचना।

महोदय,

मैं एतद्द्वारा विमानन उद्योग को हुई हानि' के संबंध में दिनांक 2 फरवरी, 2023 को श्री अनुरूला रेवंत रेड्डी द्वारा लोक सभा में पूछे गए लिखित प्रश्न संख्या 201 के उत्तर के भाग (क) में देखी गई अशुद्धि को शुद्धि करने के लिए विवरण प्रस्तुत करने हेतु आशय की सूचना दे रहा हूँ।

2. उपर्युक्त अतारांकित प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में अनजाने में हुई त्रुटि के कारण शुद्धि करने वाला विवरण देना आवश्यक हो गया है। इस त्रुटि के पाए जाने के तुरंत बाद कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

3. मैं विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ तथा इसे लोक सभा के वर्तमान सत्र के दौरान सदन के ध्यानार्थ लाना चाहता हूँ। उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने वाले विवरण की हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण दोनों प्रतियाँ संलग्न हैं।

4. असुविधा के लिए खेद है।

हस्ताक्षरित

(जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त)

संलग्नक: यथोपरि

प्रतिलिपि:

1. माननीय संसदीय कार्य मंत्री, नई दिल्ली।

2. प्रश्न शाखा, लोक सभा, संसद भवन। उत्तर को शुद्ध करने वाले विवरण के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की निर्धारित संख्या में प्रतियां तथा सदन के पटल पर रखी जाने वाली हिंदी और अंग्रेजी में दो प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं।

3. संसद एकक, नागर विमानन मंत्रालय।

"विमानन उद्योग को हुई हानि" के संबंध में लोक सभा के दिनांक 02 फरवरी, 2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 201 के भाग (क) के उत्तर उत्तर में सुधार करते हुए नागर विमानन राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत विवरण।

मैं "विमानन उद्योग को हुई हानि" के संबंध में लोक सभा के दिनांक 02 फरवरी, 2023 के तारांकित प्रश्न संख्या 201 के भाग (क) के उत्तर में सुधार करना चाहता हूं।

प्रश्न का वह भाग, जिसका उत्तर दिया गया था	दिया गया उत्तर (प्रचालनिक हानि से संबंधित)	इस प्रकार पढ़ा जाए (किया गया सुधार)
(क)	प्रमुख भारतीय एयरलाइनों से प्राप्त हुए इनपुट के आधार पर, उद्योग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वहन किए गए हानि का विवरण निम्नानुसार है: वर्ष — हानि (करोड़ रुपए में) वित्तीय वर्ष 2019-20 — 4770 वित्तीय वर्ष 2020-21 — 12479 वित्तीय वर्ष 2021-22 — 11658	मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्योग जगत को हुई हानि का विवरण इस प्रकार है: रुपए करोड़ में (तालिका नीचे)

वर्ष	कुल प्रचालनिक परिणाम (कुल प्रचालनिक राजस्व - कुल प्रचालनिक व्यय)	कर और असाधारण मदों के पश्चात लाभ या हानि।
वि.व 2019-20	(-)5534	(-)12005
वि.व 2020-21	(-)14871	(-)17914
वि.व 2021-22	(-)13189	(-)24015

उत्तर की अन्य विषयवस्तु यथावत है।
असुविधा के लिए खेद है।

अधिप्रमाणित

जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (से.नि.)
[जनरल (डॉ) वी.के. सिंह] Gen. (Dr.) V.K. Singh (Retd.)
राज्य मंत्री, नागर विमानन / MoS for Civil Aviation
भारत सरकार / Government of India

लोक सभा के पटल पर रखे जाने वाले पत्र

नई दिल्ली

दिनांक :

विमानन उद्योग को हुई हानि के संबंध में लोक सभा में दिनांक 02 फरवरी, 2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 201 का संशोधित उत्तर देने में विलंब के कारणों का उल्लेख करने वाला विवरण

उपर्युक्त अतारांकित प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में हुई अनावधानतावश त्रुटि के कारण संशोधन करना आवश्यक है। गड़बड़ी सामने आने के तुरंत बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

2. विमानन क्षेत्र और विनियामक डीजीसीए से आंकड़े एकत्र करने के कारण विलंब हुआ है।

3. विलंब के लिए अत्यधिक खेद है।

(जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त))
नागर विमानन राज्य मंत्री

****

शुद्ध प्रतिलिपि

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 201
गुरुवार, 02 फरवरी, 2023/ 13 माघ, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन उद्योग को हानि

201. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानन उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 11658 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार विमानन उद्योग की वित्तीय स्थिति का नियमित विश्लेषण करती है और यदि हां, तो अंतिम रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने देश में विमानन उद्योग की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए इसी प्रकार का विश्लेषण करने के लिए कोई समय- सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) विमानन उद्योग की वित्तीय हानि को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

(क): प्रमुख भारतीय एयरलाइनों से प्राप्त हुए इनपुट के आधार पर, उद्योग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वहन किए गए हानि का विवरण निम्नानुसार है:

करोड़ रुपये में

वर्ष	कुल प्रचालनिक परिणाम (कुल प्रचालनिक राजस्व - कुल प्रचालनिक व्यय)	कर और असाधारण मदों के पश्चात लाभ या हानि
वि.व. 2019-20	(-)5534	(-)12905
वि.व. 2020-21	(-)14871	(-)17914
वि.व. 2021-22	(-)13189	(-)24015

(ख) और (ग) जी नहीं। सरकार, विमानन उद्योग के वित्तीय स्थिति का नियमित विश्लेषण नहीं करती है।

(घ) विमानन उद्योग के वित्तीय हानि को कम करने के लिए सरकार ने विभिन्न पहल किए हैं:
1) विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पर मूल्य वर्धित कर (वैट) में कटौती का मुद्दा, एटीएफ पर उच्च वैट लागू कर रही राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्रों के समक्ष उठाया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 17 राज्यों द्वारा एटीएफ पर वैट की वसूली में कटौती की गई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:
(i) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह,
(ii) उत्तराखंड,
(iii) जम्मू और कश्मीर,
(iv) लद्दाख,
(v) हिमाचल प्रदेश,
(vi) त्रिपुरा,
(vii) मध्य प्रदेश,
(viii) हरियाणा,
(ix) उत्तर प्रदेश,
(x) दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव,

(xi) अरुणाचल प्रदेश,
(xii) मणिपुर,
(xiii) झारखंड
(xiv) मिजोरम
अन्य राज्य जिन्होंने एटीएफ पर वैट कम किया है:
(xv) गुजरात - 30% से 5%
(xvi) गोवा - 18% से 8%
(xvii) कर्नाटक - 28% से 18%

II) घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) सेवाओं के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दर 18% से घटा कर 5% कर दिया गया है।
III) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) तथा अन्य हवाईअड्डा विकासकर्ताओं ने आगामी पांच वर्षों में मौजूदा टर्मिनलों, नए टर्मिनलों के विस्तार तथा सुधार एवं रनवे को मजबूत बनाने के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए लगभग 98,000 करोड़ रुपए के पूंजी परिव्यय का लक्ष्य रखा है।
IV) सरकार ने विमानन क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को अनुमोदित किया है। उद्योग की मांग के आधार पर, ईसीएलजीएस के दायरे को बढ़ा दिया गया है, ताकि संबंधी तिथियों पर इन कंपनियों को, प्रति उधारकर्ता के लिए 1500 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन, उनके कुल क्रेडिट बकाया (निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित बकाया दोनों) के 100% तक की क्रेडिट सहायता, जो भी कम हो, प्रदान की जा सके।

*****

अधिप्रमाणित

((जनरल) (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))
नागर विमानन राज्य मंत्री

जनरल (डा.) वी. के. सिंह (से.नि.)
General (Dr.) V. K. Singh (Retd.)
नागर विमानन, राज्य मंत्री
Minister of State, Civil Aviation
भारत सरकार / Government of India

मूल प्रतिलिपि

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 201
गुरुवार, 02 फरवरी, 2023/ 13 माघ, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

<u>विमानन उद्योग को हानि</u>

201. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानन उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 11658 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार विमानन उद्योग की वित्तीय स्थिति का नियमित विश्लेषण कराती है और यदि हां, तो अंतिम रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में विमानन उद्योग की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए इसी प्रकार का विश्लेषण करने के लिए कोई समय- सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विमानन उद्योग की वित्तीय हानि को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)</u>

(क) प्रमुख भारतीय एयरलाइनों से प्राप्त हुए इनपुट के आधार पर, उद्योग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वहन किए गए हानि का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	हानि (करोड़ रुपए में)
वित्तीय वर्ष 2019-20	4770
वित्तीय वर्ष 2020-21	12479
वित्तीय वर्ष 2021-22	11658

(ख) और **(ग)** जी नहीं। सरकार, विमानन उद्योग के वित्तीय स्थिति का नियमित विश्लेषण नहीं करती है।

(घ) विमानन उद्योग के वित्तीय हानि को कम करने के लिए सरकार ने विभिन्न पहल किए हैं:

I) विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पर मूल्य वर्धित कर (वैट) में कटौती का मुद्दा, एटीएफ पर उच्च वैट लागू कर रहे राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्रों के समक्ष उठाया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 17 राज्यों द्वारा एटीएफ पर वैट की वसूली में कटौती की गई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह,

(ii) उत्तराखंड,

(iii) जम्मू और कश्मीर,

(iv) लद्दाख,

(v) हिमाचल प्रदेश,

(vi) त्रिपुरा,

(vii) मध्य प्रदेश,

(viii) हरियाणा,

(ix) उत्तर प्रदेश,

(x) दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव,

(xi) अरुणाचल प्रदेश,

(xii) मणिपुर,

(xiii) झारखंड

(xiv) मिजोरम

अन्य राज्य जिन्होंने एटीफ पर वैट कम किया है:

(xv) गुजरात – 30% से 5%

(xvi) गोवा – 18% से 8%

(xvii) कर्नाटक – 28% से 18%

II) घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) सेवाओं के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दर 18% से घटा कर 5% कर दिया गया है।

III) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) तथा अन्य हवाईअड्डा विकासकर्ताओं ने आगामी पाँच वर्षों में मौजूदा टर्मिनलों, नए टर्मिनलों के विस्तार तथा सुधार एवं रनवे को मजबूत बनाने के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए लगभग 98,000 करोड़ रुपए के पूंजी व्यय का लक्ष्य रखा है।

IV) सरकार ने विमानन क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को अनुमोदन दे दी है। उद्योग की मांग के आधार पर, ईसीएलजीएस के दायरे को बढ़ा दिया गया है, ताकि संदर्भ तिथियों पर इन कंपनियों को, प्रति उधारकर्ता के लिए 1500 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन, उनके कुल क्रेडिट बकाया (निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित बकाया दोनों) के 100% तक की क्रेडिट सहायता, जो भी कम हो, प्रदान की जा सके।

*****

3

अपराह्न 2.03½ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित चीन, पाकिस्तान और भूटान के साथ की गई संधि/समझौते के विशेष संदर्भ में जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों सहित देश में बाढ़ प्रबंधन के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[4*]

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडु): महोदय, मैं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित चीन, पाकिस्तान और भूटान के साथ की गई संधि/समझौते के विशेष संदर्भ में जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों सहित देश में बाढ़ प्रबंधन के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

———

… (व्यवधान)

[4*]सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया ,
देखिए संख्या एल.टी. 9226 /17/23

अपराह्न 2.04 बजे

नियम 377 के अधीन मामले[5*]

[हिन्दी]

माननीय सभापति : नियम 377 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में उनको अनुमति प्रदान की जाती है, जिन माननीय सदस्यों के पाठ स्वीकृत हुए हैं। वे अपने अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर लिखित रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

(एक) नेपाली भाषा संवर्धन परिषद का गठन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): यदि कोई भाषा लुप्त होती है, तो लिपि भी लुप्त हो जाती है, यदि लिपि लुप्त जाती है, तो इतिहास भी खो हो जाता है और फिर हमारी अपनी पहचान भी खो जाती है। मैं 28 राज्यों और 5 केन्द्र शासित प्रदेश में रहने वाले 1.5 करोड़ से अधिक लोगों की दुर्दशा का उल्लेख करना चाहता हूं, जिनकी मातृभाषा नेपाली गोरखा है/नेपाली भाषा भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से एक है। संवैधानिक मान्यता के 3 दशक के बाद भी गोरखा भाषा के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए कोई पहल नहीं की गयी है। अधिकांश गोरखा पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रहते हैं, गोरखा भाषा इन राज्यों की मुख्य भाषा नहीं है और इसके परिणामस्वरूप इस भाषा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके फलस्वरूप इन दोनों राज्यों में रहने वाले और पूरे देश में रहने वाले गोरखाओं की मातृभाषा का विकास

[5*]सभा पटल पर रखे माने गये।

और प्रचार-प्रसार बाधित होता है और नई पीढ़ी गोरखा भाषा और साहित्य का अध्ययन करने से वंचित रह जाती है।

किसी भी जाति, समुदाय और समाज के विकास और अस्तित्व के लिए मातृभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति मातृभाषा पर ध्यान देती है और माननीय प्रधानमंत्री जी बार-बार इस मुद्दे पर जोर देते रहे हैं। हालाँकि, गोरखा भाषी लोगों के लिए अलग राज्य नहीं होने के कारण नेपाली भाषा का जो विकास और प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नेपाली भाषा के प्रसार और इसके संवर्धन तथा विकास के लिए नेपाली भाषा संवर्धन परिषद का गठन किया जाए।

(दो) गंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उन किसानों को, जिनकी फसल भारी वर्षा और ओलावृष्टि से नष्ट हो गई है, मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री निहाल चंद चौहान (गंगानगर): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र गंगानगर की तहसील सूरतगढ़ के बड़े क्षेत्र में हुई भारी वर्षा और ओलावृष्टि की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसके कारण वहां खेतों में खड़ी फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा है, जिसकी सीधी मार मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्नदाताओं पर पड़ रही है।

गत 16 मार्च 2023 को सूरतगढ़ तहसील में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी, जिसकी सीधी मार गेहूं, जौ, चना, सरसों की फसलों और सब्जियों पर पड़ रही है और इस कारण यहाँ के किसानों को आर्थिक व मानसिक तौर पर परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। किसान अपना खून-पसीना एक करके पूरी मेहनत के बल पर फसलों को उगाता है और बेमौसम की मार से उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में हुई इस भारी वर्षा व ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान की भरपाई करने हेतु जल्द से जल्द राज्य सरकार से आंकड़े मंगवाकर राज्य सरकार और बीमा कंपनियों को उचित मुआवजे की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(तीन) राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना नेशनल रोप-वे विकास कार्यक्रम के तहत मैं मेरे संसदीय क्षेत्र कांकेर छ.ग. के गढ़िया पहाड़-कांकर, गोटिटोला (चारामा) शक्ति पीठ गाढ़ागौरी (चारामा) सिद्ध रानी मंदिर आवरी (चारामा) शामतरा (नरहरपुर) महानदी के उदगम स्थल श्रृंगी ऋषी पर्वत जैसे धार्मिक तथा नैसर्गिक पर्यटन स्थलों में रोप-वे निर्माण प्रस्ताव पर अमल करने का आग्रह करता हूं।

उक्त धार्मिक स्थलों में रोप-वे परियोजना के तहत किये जाने के निर्माण से धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले लोगों को सुविधा प्रदान होगी। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा साथ ही राजस्व की वृद्धि होगी।

अतः सरकार से अनुरोध है कि रोप-वे विकास कार्यक्रम के तहत उक्त धार्मिक स्थलों को जोड़कर रोप-वे की सुविधा प्रदान करने हेतु निर्देशित करें।

(चार) कृषि उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने और इसके हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): आज खेतों में अधिक उत्पादन के लिए किसानों द्वारा भारी मात्रा में रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। इन रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग के कारण उत्पन्न विकिरण, वायु प्रदूषण से सैकड़ों कीट समाप्त होते जा रहे हैं इन्हीं पेस्टिसाइड कीटनाशकों का उपयोग का परिणाम है कि मधुमक्खी, लाख के कीट आदि धीरे-धीरे समाप्ति की ओर हैं। अब वृक्षों में लाख के कीट नहीं जम रहे हैं जिस कारण लाख के उत्पादन में भारी कमी आई है। जिसके कारण लाख उत्पादक किसानों को भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सिवनी जिले के बरघाट तहसील में लाख का बहुत अधिक उत्पादन होता था किंतु लाख के कीड़ों के नहीं जमने के कारण लाख उत्पादन में भारी गिरावट आई है जिस कारण लाख उत्पादक किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही मधुमक्खियों की कमी के कारण शहद उत्पादन भी घटते जा रहा है।

मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार को रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के अधिक उपयोग से बचने के लिए नीति बनाने एवं इनके उपयोग से होने वाले विकिरण को रोकने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए जिससे विकिरण को रोका जा सके।

(पांच) असम ऊर्जा संस्थान में बी.टेक पाठ्यक्रम शुरू किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री तपन कुमार गोगोई (जोरहाट): यह बहुत चिंता का विषय है कि असम ऊर्जा संस्थान, शिवसागर (राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र, जयस, अमेठी) को अब तक 4 वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता नहीं मिली है हालांकि वे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, रसायन इंजीनियरिंग और यांत्रिक इंजीनियरिंग, अग्नि और सुरक्षा इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं। शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 में इंजीनियरिंग और सामान्य विज्ञान में पीएचडी पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। परिसर में चार वर्षीय बी-टेक डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, जिसकी मांग पूर्वोत्तर और असम के विद्यार्थी कई वर्षों से कर रहे हैं। मैं भारत सरकार के माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वे भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के एक स्वायत्त संस्थान आर.जी.आई.पी.टी. को असम ऊर्जा संस्थान में बी.टेक पाठ्यक्रम शुरू करने और इसे स्वायत्त संस्थान बनाने का निर्देश दें ताकि यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विद्यार्थियों को तेल और गैस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करें।

(छह) चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सी.सी.एल. द्वारा भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित भू-स्वामियों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): मैं चतरा लोक सभा अन्तर्गत कार्यरत सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की आम्रपाली एवं मगध परियोजना अन्तर्गत भू-रैयतों की विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। भू-रैयतों को सी.सी.एल. द्वारा बार-बार सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया गया और न ही इसके लिए कोई प्रयास हो रहा है। अतः कोयला मंत्री जी आग्रह करता हूँ कि सी.सी.एल. से निम्नलिखित का बिन्दुवार जवाब मांगा जायें-

1. सी.सी.एल. के द्वारा चतरा एवं लातेहार जिला के कितने ग्राम में कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है?

2. प्रत्येक गाँववार कुल कितनी भूमि (रैयती, सरकारी एवं वनभूमि) का अधिग्रहण प्रस्तावित है ?

3. सी.सी.एल. द्वारा विभिन्न परियोजनाओं द्वारा कुल कितनी भूमि (रैयती, सरकारी एवं वनभूमि) में उत्खनन का कार्य किया जा रहा है?

4. आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. अधिनियम 2013 के तहत प्रत्येक गांव की भूमि का मुआवजा का निर्धारण कितना किया गया है? अधिग्रहीत गॉव की सूची निर्धारित एवं दी गई राषि के साथ विस्तृत विवरण उपलब्ध करायें।

5. प्रत्येक अधिग्रहीत गांव की भूमि के विरूद्ध कुल कितने लोगों नौकरी प्रदान की गई?

6. भूमि अधिग्रहण के पश्चात् कुल कितने ऐसे लाभार्थी है जिन्हें अभी तक सिर्फ मुआवजा मिला है, नौकरी नहीं मिली है तथा जिन्हें नौकरी मिली है, परन्तु मुआवजा नहीं मिला हैं?

7. क्या भारत सरकार की नई पॉलिसी आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. अधिनियम 2013 के तहत भूमि का मुआवजा मूल्य से चार गुणा तक करना है? अगर हां तो अब तक चतरा और लातेहार जिला में कार्यरत सी.सी.एल. आम्रपाली, मगध परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक गांव जहाँ भूमि अधिग्रहण किया गया है कुल कितने लाभार्थी को उक्त निर्धारित राशि के अनुसार भुगतान किया गया है?

8. क्या विस्थापित हुए लाभार्थियों के बीच सी.आई.एल. वार्षिकी योजना, 2020 का अनुपालन किया जा रहा है? अगर हां, तो लाभार्थियों की संख्या गांव वार उपलब्ध कराई जाय तथा इस वित्तीय वर्ष में अब तक इस योजना के तहत कुल कितनी राशि का वितरण किया गया?

9. ग्रामीणों द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि सी.सी.एल. प्रबंधन द्वारा सी.बी.ए. अधिनियम 1952 को मानने के लिए मजबूर किया जाता है अगर नहीं तो लाभार्थियों के साथ इकरारनामा सिर्फ इसी पॉलिसी के तहत क्यों है?

10. सी.सी.एल.द्वारा अधिग्रहीत भूमि के रैयतों के पुनर्वास और मुआवजा से सम्बंधित दावों का निपटारा कब तक पूर्ण होगा और इससे सम्बन्धित पुनर्वास और मुआवजा की व्यापक नीति क्या है?

(सात) सहारा ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने वाले वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के धन की वापसी के बारे में

श्री रामदास तडस (वर्धा): माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा में सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाईटी लि./सहारियन युनिवर्सल मल्टीपरपॅज सोसाईटी लि./इण्डिया क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाईटी लि. एवं सहारा स्टार्स मल्टीपरपज सोसाईटी लि. के फ्रेंचायजी में एजेंट के जरिये 25 से 30 हजार रूपये नागरिको द्वारा दैनिक/मासिक/फिक्सड डिपॉजिट के खाते खुलवाये गये थे और इन सभी खातेदारों की मैच्योरिटी पूरी हो गयी है, लेकिन कई वर्षों/महीनों से भुगतान पेंडिंग है। खातेदारा द्वारा भुगतान के संदर्भ में सहारा इण्डिया के सोसाईटी के स्थानीय कार्यालय, शाखा कार्यालय, रीजन कार्यालय एवं जोनल कार्यालय के चक्कर लगाए जा चुके हैं। सोसाईटी के प्रबंधकों से भी भुगतान के लिये पत्र दिये है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ, सभी खातेदार एवं एजेंट व्दारा सहारा इंडिया से भुगतान मिलने हेतु आग्रह किया है। इस संस्था में करोड़ो रुपये मेरे संसदीय क्षेत्र के लोंगो का ब्लॉक हो गया है जिससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः माननीय मंत्री जी से निवेदन करना है कि सहारा परिवार के सभी खातेदार एवं एजेंट का भुगतान शीघ्र करवाने का कृपा करें जिससे कि इस समस्या का निदान हो सके।

(आठ) दिल्ली में पानी की कमी के बारे में

[अनुवाद]

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): दिल्ली शहर समय-समय पर पानी की भारी और गंभीर कमी से जूझता रहता है। 2021 में दिल्ली का दैनिक जल उपयोग 1,380 मिलियन गैलन (5,223 मिलियन लीटर) होने का अनुमान लगाया गया था। आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के लगभग 7.7% घरों में बोतलबंद पानी का उपयोग किया जाता हैं, जबकि अन्य 5.04% पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं। दिल्ली में मांग-आपूर्ति असंतुलन के कारण प्रतिदिन 380 मिलियन गैलन से ज्यादा जल बर्बाद होता है।

दिल्ली जैसा बड़ा शहर जो विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लाखों लोगों का घर है, उनको बुनियादी आवश्यकताओं में से एक यानी जल की कमी का सामना करने के लिए नही छोड़ा जा सकता है। यह समय की मांग है कि शहर में जल की उपलब्धता और उसकी कमी की समस्या का समाधान हो। मैं सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह करता हूं।

(नौ) महाराष्ट्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नंदुरबार): कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.वी.बी.) की स्थापना वंचित समूहों की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। के.जी.बी.वी. प्रत्येक शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉक (ई.बी.बी.) में कक्षा 6-12 वर्ष की बालिकाओं के लिए कम से कम एक आवासीय विद्यालय खोलने की सुविधा प्रदान करता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (के.जी.बी.वी.) की कई छात्राओं ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं। महाराष्ट्र में वर्तमान में 86 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं और के.जी.बी.वी. में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंट टीचर्स (सी.आर.टी.) छात्राओं के कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। संविदागत अध्यापकों ने काफी समय तक यहाँ काम किया है और वे अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। संविदागत अध्यापक वही काम कर रहे हैं जो सोसायटी स्कूलों और आवासीय विद्यालयों के अध्यापक करते हैं, लेकिन उन्हें कम वेतन मिल रहा है जो 'समान काम के लिए समान वेतन' के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। बालिकाओं के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने में उनके योगदान को पहचानने के लिए मैं सरकार से पूरे महाराष्ट्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदागत अध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करती हूँ जिससे उन अध्यापकों, जिन पर हमारे राष्ट्र के भविष्य के निर्माण की ज़िम्मेदारी हैं, की सामाजिक सुरक्षा और नौकरी की स्थिरता सुनिश्चित होगी।

(दस) पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले में एफ.एम. एयर (एल.आर.एस.) की स्टूडियो सुविधाओं सहित एक डेडिकेटेड ट्रांसमीटर की स्थापना के बारे में

श्री कुनार हेम्ब्रम (झाड़ग्राम): हम डिजिटल तकनीक के युग में जी रहे हैं। हमें आम लोगों से प्रतिक्रिया मिल रही है कि उन्हें ए.आई.आर. और डी.डी. के सिग्नल ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं। खराब मौसम के दौरान डी.टी.एच. सेवा बाधित होती हैं और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट ब्रॉडबैंड उपलब्ध नहीं है। हमें इस बात का गर्व है कि माननीय प्रधान मंत्री ने अपने अनूठे कार्यक्रम 'मन की बात' के लिए इस मीडिया को चुना है। ए.आई.आर और डी.डी. ही एकमात्र मीडिया है जो सरकारी योजनाओं की जानकारी देता है। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने घोषणा की है कि भारत के प्रत्येक जिले में ए.आई.आर. एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित किया जाएगा। झाड़ग्राम जिला विभिन्न आदिवासी संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने और उनके उत्थान के लिए एफ.एम. ए.आई.आर. (एल.आर.एस.) की स्टूडियो सुविधाओं वाले एक डेडिकेटेड ट्रांसमीटर की आवश्यकता है ; जिसे ए.आई.आर. और डी.डी. कोलकाता के प्रमुख केंद्रों द्वारा कवर नहीं किया जा रहा है। इससे भविष्य में इस क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं को खोजने में भी मदद मिलेगी।

इसलिए मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले में एफ.एम. ए.आई.आर. (एल.आर.एस.) की स्टूडियो सुविधाओं के साथ एक डेडिकेटेड ट्रांसमीटर स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) शाहजहाँपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आलू आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने और क्षेत्र से आलू के निर्यात के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहाँपुर की तिलहर, सदर, पुवायां, जलालाबाद कलान तहसीलों में आलू की काफी अधिक फसल होती है तथा इस क्षेत्र के किसानों की जीविका का एकमात्र सहारा आलू की उपज ही है।

लेकिन वर्तमान समय में लागत मूल्य से भी आदि कम पर आलू बिक रहा है, जिस कारण क्षेत्र के किसान आलू की उपज का लाभकारी मूल्य न मिलने की वजह से काफी परेशान हैं तथा आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि आलू उत्पादकों के हित में शाहजहाँपुर जनपद आधारित एक फूड प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित किए जाने के साथ-साथ आलू के निर्यात हेतु संभावित कदम उठाने की कृपा करें, जिससे क्षेत्र के आलू किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो सके।

(बारह) संजय-डुबरी राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व के विकास तथा टाइगर रिजर्व में पर्यटक सुविधाओं के लिये निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): मैं माननीय पर्यावरण मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के अंतर्गत धौहनी विधानसभा में स्थित संजय दुबरी टाइगर रिजर्व बाघों का प्राकृतिक निवास स्थान है एवं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। विदित है कि सर्वप्रथम सफ़ेद शेर यहीं देखा गया था,परंतु पर्यटकों हेतु मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों का रुझान व आकर्षण एक उच्च श्रेणी का पर्यटन स्थल एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी नही हो पाता, जिस कारण क्षेत्र व पर्यावरण दोनों का विकास अवरुद्ध है। अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि पर्यावरण एवं क्षेत्र के विकास दृष्टिगत रखते हुए यहाँ मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं सम्पूर्ण बाघ आरक्षित क्षेत्र को विकसित करने हेतु पर्याप्त बजट संजय दुबरी टाइगर रिजर्व को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(तेरह) श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी के बारे में

[अनुवाद]

श्री सु. थिरुनवुक्करासर (तिरुचिरापल्ली): 12 मार्च 2023 को श्रीलंका की नौसेना द्वारा सोलह मछुआरों को उनकी दो मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं के साथ पकड़ा गया था। ये दोनों नावें नागपट्टिनम जिले के अक्कराई पेट्टई और पुदुक्कोट्टई जिले के अरनथांगी विधानसभा क्षेत्र के कोट्टईपट्टिनम के मछुआरों की हैं। एक महीने के अंदर श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर हमले/गिरफ्तारी की यह तीसरी घटना है। मछुआरे अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से मछली पकड़ने के कार्य पर निर्भर हैं। ऐसी घटनाएँ उनके मन में भय भी पैदा करती हैं। तमिलनाडु सरकार ने इन मुद्दों को बार-बार केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है लेकिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। फिलहाल, तमिलनाडु की 102 मछली पकड़ने वाली नौकाएं उनके कब्जे में हैं और छह मछली पकड़ने वाली नौकाएं जिन्हें श्रीलंका ने छोड़ा था, उन्हें अभी तक भारत वापस नहीं भेजा गया है।

इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक माननीय केंद्रीय विदेश मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूँ कि हमारे मछुआरों के मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकारों को स्थायी रूप से संरक्षित किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके अलावा, श्रीलंका की नौसेना द्वारा पकड़े गए सभी सोलह मछुआरों और 102 मछली पकड़ने वाली नौकाओं की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक राजनयिक कदम उठाए जाएँ।

(चौदह) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों के बारे में

श्री वी.के. श्रीकंदन (पालक्काड़): हमारे देश में लगभग 30 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों की भूख और कुपोषण से निपटने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज कम वेतन मिलने के कारण उनका जीवन ही अत्यंत दयनीय स्थिति में है। वे अपनी नौकरी को नियमित करने की मांग कर रही हैं, ताकि उन्हें अच्छा वेतन और पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि का लाभ मिल सके। राष्ट्रीय पोषण मिशन 02 के अंतर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुबंध कर्मचारियों की संख्या 50% कम कर दी गई है, जिससे आई.सी.डी.एस. केंद्रों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्हें जो कम राशि मिल रही है, उससे उनके लिए कई ब्लॉकों का दौरा करना और उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार 100 कर्मचारियों की संख्या के साथ 40 लाख से अधिक लाभार्थियों की देखभाल करने वाली 33,000 से अधिक आंगनबाड़ियों को चलाना और प्रबंधित करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा, अट्टापडी जैसे आदिवासी क्षेत्रों में एन.एन.एम. के इन संविदा कर्मचारियों की सेवाओं की अनिवार्य रूप से अधिक आवश्यकता है, जहां एनीमिया के कारण बच्चों की मृत्यु तथा माताओं की मृत्यु आदि बढ़ रही है और यह दर लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को उचित वेतन दिया जाए और उनकी नौकरी को नियमित किया जाए और कर्मचारियों की संख्या बहाल की जाए।

(पंद्रह) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के मानदंडों की समीक्षा के बारे में

श्री राजमोहन उन्नीथन (कासरगोड): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिलों के पर्वतीय इलाकों में सड़कों का निर्माण और उनकी निगरानी की जाती है। लेकिन ढलान संबंधी मुद्दों के कारण क्षेत्रों की कुछ सड़कों को योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा रहा है। उनमें से अधिकांश 4 में से 1 (क्षैतिज लंबाई की 4 इकाइयां [रन] ऊर्ध्वाधर लंबाई की 1 इकाई [वृद्धि]) और 5 में से 1 मौजूदा ढलान हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के मानकों के अनुसार कार्यों के लिए अनुमत्य ढलान वर्तमान में क्षैतिज लंबाई की 10 इकाइयों में ऊर्ध्वाधर लंबाई की 1 इकाई है जो इन पर्वतीय सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए अयोग्य घोषित करती है। ये सड़कें कार्यक्रम के मापदंडों के अनुसार काटकर और भरकर बनाई जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ की जमीन की चौड़ाई आवश्यक है। जमीन के दोनों तरफ मकान हैं, जिससे कटाई और भराई का काम नहीं हो पाता है। यहां पांच किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में सड़कों का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मे शामिल किया जाए। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नियमों की समीक्षा की जाए ताकि भविष्य में पर्वतीय क्षेत्रों की अनेक सड़कों को इस परियोजना में शामिल किया जा सके और गांवों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने से क्षेत्र के विकास में तेजी आ सके।

(सोलह) सलेम जिले के लिए एस.आई.टी.पी. (एकीकृत वस्त्र पार्क योजना) और आई.पी.डी.एस. (एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना) को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस.आर. पार्थिबन (सलेम):सलेम तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादन क्षेत्र है। हम सलेम जिले में एक समेकित वस्त्र पार्क (वेट प्रोसेसिंग और वीविंग पार्क) के निर्माण की आशा कर रहे हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने एस.आई.टी.पी. और आई.पी.डी.एस. योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से आवंटित अनुदान के बाद वित्तीय सहायता आवंटित की है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पहले ही सलेम में समेकित वस्त्र पार्क परियोजना की घोषणा कर दी है और सलेम जिला प्रशासन ने वस्त्र पार्क की स्थापना के लिए 119 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इस भूमि आवंटन के साथ हमने अवसंरचना के विकास के लिए एस.आई.टी.पी. योजना हेतु 100 एकड़ और सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिए आई.पी.डी.एस. योजना के लिए 20 एकड़ भूमि का प्रस्ताव रखा।

मैं हमारे माननीय वस्त्र मंत्री से तमिलनाडु के सलेम जिले के लिए एस.आई.टी.पी. (समेकित वस्त्र पार्क योजना) और आई.पी.डी.एस. (समेकित प्रसंस्करण विकास योजना) की मंजूरी देने का अनुरोध करता हूं।

(सत्रह) किसानों पर भीषण गर्मी का प्रभाव कम किए जाने की आवश्यकता

प्रो. सौगत राय (दमदम): भारत ने 1901 में उचित रिकॉर्ड रखने की शुरुआत के बाद से अपना सबसे गर्म फरवरी दर्ज किया, जिसमें देश भर में उच्चतम औसत अधिकतम तापमान (29.5 डिग्री सेंटीग्रेड) दर्ज किया गया। आई.एम.डी. ने मार्च-मई अवधि के दौरान भारत के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्मी के पूर्वानुमान के साथ आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी बढ़ने का संकेत दिया हैं । आई.एम.डी. के पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर पूर्व, पूर्व, मध्य के अधिकांश हिस्सों और दिल्ली-एन.सी.आर. सहित उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में दिन का तापमान 'सामान्य से अधिक' रहने की आशा है और मध्य और निकटवर्ती उत्तर पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों में मार्च से मई के दौरान लू देखने को मिल सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में लू की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। ऐसे क्षेत्रों में गंभीर भूस्खलन और बाढ़ के आम होने का अनुमान है। यह अनुमान लगाया गया है कि जलवायु परिवर्तन भारत की जी.डी.पी. को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे गर्मी के कारण किसानों और उनकी आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों को पहले से ही नियंत्रित करने के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाएँ।

(अठारह) वर्धमान पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी की स्थिति के बारे में

श्री सुनील कुमार मंडल (वर्धमान पूर्व): मैं माननीय जल शक्ति मंत्री का ध्यान गंगा नदी की स्थिति के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं, जो विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कटवा और कालना के बीच अच्छी स्थिति में नहीं है। कटवा से कालना तक करीब 1001 किलोमीटर का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में गंगा नदी ने गाद के कारण अपना क्षेत्र विस्तृत कर लिया है। ये सभी क्षेत्र अलग-अलग दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। 70% से 80% एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. समुदाय के लोग नदी के दोनों किनारों पर रहते हैं और उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, उनके रहने के लिए कोई दूसरी जगह भी नहीं है। यदि कोई अप्रिय घटना घटी तो वे बेघर हो सकते हैं। इसलिए, यहां मामले का निरीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक निरीक्षण दल भेजने की आवश्यकता है। रेत के एकत्र होने से तटवर्ती निवासी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इसके क्षेत्र में जल का विस्तार हो रहा है और गंगा नदी का तट उथला होता जा रहा है। रेत के खनन की भी आवश्यकता है ताकि नदी का प्रवाह बेहतर हो सके। निकर्षण से जल की भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अलावा जल-प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए रखी गई रेत की बोरियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और जिन्हें बदलने की सख्त आवश्यकता है।

यदि निकर्षण का कार्य उचित तरीके से नहीं किया जाएगा तो पुनरुद्धार कार्य संभव नहीं हो सकेगा। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि रेत या गाद का एकत्रीकरण भारत में नदियों के विलुप्त होने का कारण बनता है। हजारों वर्षों से बहने वाली कई नदियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं।

मैं अंत में माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि समस्या को कम करने के लिए मेरे विकासात्मक सुझावों पर ध्यान दें और साथ ही क्षेत्र के नदी तट के सौंदर्यीकरण की भी आवश्यकता है।

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश में नई प्रस्तावित कोटिपल्ली-नरसापुरम रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में

श्री रघु राम कृष्ण राजू (नरसापुरम): कोटिपल्ली-नरसापुरम की नई प्रस्तावित रेलवे लाइन 57.2 किलोमीटर की है, जिसे कोनासीमा रेललाइन के नाम से जाना जाता है, जिसे वर्ष 2001 में तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष श्री जी.एम.सी. बालयोगी द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन इसके बाद इसमे कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई हैं। वर्ष 2014 में सरकार द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से रेललाइन के निर्माण में तेजी लाई गई।

यह रेल लाइन कोटिपल्ली से मागाम, अमलापुरम, पेरुरू, पसरलापुडी, जग्गन्ना पेटा, राजोलू, चिनचिनाडा होते हुए 3 नगर पालिकाओं सहित नरसापुरम कस्बे से गुजरती है। इस परियोजना में तीन पुल हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 1.47 किलोमीटर, 3.55 किलोमीटर और 1.49 किलोमीटर है। इस पर अब तक लगभग 1200 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं लेकिन इसका केवल 60 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है। केंद्रीय बजट 2023-2024 में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। हालांकि राज्य सरकार रेल लाइन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इसमें मुश्किल आ रही है। केंद्र सरकार पहले ही निष्क्रिय परियोजना पर लगभग 1200 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। बढ़ती कीमतों को देखते हुए मैं मंत्रालय को पर्याप्त धनराशि लगाकर शेष कार्य पूरा करने का सुझाव दूंगा, जिसे राज्य सरकार को जारी किए जाने वाले जी.एस.टी. फंड से समायोजित किया जा सकता है ताकि समय और धन बचाया जा सके और कोनासीमा के लोगों की इच्छा पूरी हो सके।

(बीस) देश में विचाराधीन कैदियों की दयनीय स्थिति के बारे में

श्री कुरुवा गोरांतला माधव (हिंदुपुर): संविधान दिवस पर अपने भाषण में भारत के माननीय राष्ट्रपति ने भारत में विचाराधीन कैदियों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला और बताया कि कितने लोग गरीबी के कारण जमानत मिलने के बावजूद जेल में बंद हैं। एन.सी.आर.बी. के अनुसार जेल में बंद कुल कैदियों में से 77.1% विचाराधीन कैदी हैं, जिनमें से अधिकांश निचली जाति से हैं। इनमें से 2.7 प्रतिशत पांच वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद हैं। वंचित समुदायों से होने के कारण उनके पास जमानत अथवा स्थानीय जमानत के लिए धन की व्यवस्था करने की क्षमता नहीं है। इसके परिणामस्वरूप जमानत मिलने के बाद भी वे अक्सर जेल में बंद रहते हैं। यह न केवल जमानत प्रणाली, बल्कि यह संपूर्ण प्रणाली की निष्फलता का मुद्दा है फिर चाहे वह - मनमाने ढंग से हिरासत में रखना, मुफ्त कानूनी सहायता की प्रभावहीनता , मामलों के अधिक समय तक लंबित रहना और पुरानी जमानत शर्तों हो, ये कुछ उदाहरण हैं। अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने उल्लेख किया कि सरकार उन विचाराधीन कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो जमानत राशि और ज़मानती का खर्च नही उठा सकते हैं। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से एक राष्ट्रीय विचाराधीन कैदी योजना बनाने का अनुरोध करता हूं। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि माननीय विधि और न्याय मंत्री इस उद्देश्य के लिए विधिक सहायता को सशक्त बनाए और यह सुनिश्चित करें कि उनके मूलभूत, मौलिक अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जा सके।

(इक्कीस) गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता के लिए दिए जाने वाले निर्धनता अनुदान के अंर्तगत सहायता बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): पेनुरी अनुदान हवलदार के पद तक के भूतपूर्व सैनिकों को प्रदान किया जाता है जो 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं और भारत सरकार से कोई पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यह अनुदान रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष योजना के तहत दिया जाता है। इस सहायता में 48000 रूपये की एकमुश्त राशि वर्ष में एक बार सैनिकों के खाते में जमा की जाती है। सालाना 48000 रूपये की राशि जो मासिक 4000 रूपये तक आती है, आज की महंगाई में बहुत ही कम है और इन सेवानिवृत सैनिकों को अपने जीवन यापन में आर्थिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस राशि को प्रति माह 7000 रूपये किया जाए और एकमुश्त न देकर मासिक राशि इनके खातों में भेजी जाए जिससे इनको हो रही असुविधा को कम किया जा सके और इसके अतिरिक्त इन सैनिकों को पेंशनर्स की श्रेणी में नहीं रखा जाता जिसके कारण सेना द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी इन्हें नहीं मिलता। इन सैनिकों को निर्धारित पेंशन नहीं मिलती इस लिए इनके लिए सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जाए क्योंकि देश की रक्षा में इन सैनिकों का भी योगदान है।

(बाईस) वाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली का एक केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर): मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली का एक केंद्र संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर में स्थापित करने के संबंध में आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मेरा लोक सभा वाल्मीकि नगर बिहार का सीमांत एवं आदिवासी क्षेत्र है। इस क्षेत्र के आदिवासी समाज द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला लोकनृत्य झमटा बहुत ही प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में कला संस्कृति को विकसित करने की अपार संभावनाए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र से कला जगत में एक से बढ़कर एक महान हस्तियाँ उत्पन्न हुई हैं जिनमें से कुछ लोगों ने बॉलीवुड में भी अपना परचम लहराया है। इस क्षेत्र के युवाओं एवं युवतियों की कला को निखारने तथा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के एक केंद्र की स्थापना जनहित में अति आवश्यक है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के एक केंद्र की स्थापना मेरे संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर में यथाशीघ्र की जाए।

(तेईस) आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के बारे में

[अनुवाद]

श्री चंद्र शेखर साहू (बहरामपुर): केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना के लिए 7200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जब हम भारत के 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो प्रति राज्य/संघ राज्यक्षेत्र आयुष्मान भारत योजना के लिए प्रति वर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये दिए जाते है। दूसरी ओर ओडिशा सरकार अपने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 6000 करोड़ रुपये खर्च करती है, जो ओडिशा में प्रति वर्ष औसतन लगभग 200 करोड़ रुपये प्रति जिला है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक महिला केवल 5 लाख रुपये का इलाज करा सकती है, जबकि ओडिशा में वह राज्य योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक का लाभ उठा सकती है। इसका मतलब है कि प्रति वर्ष आयुष्मान भारत योजना के 200 करोड़ रुपये केवल ओडिशा के एक जिले को कवर करेंगे। इसी तरह, आयुष्मान भारत के अंतर्गत, अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले रोगी को 5 लाख रुपये की सीमा से अधिक राशि नहीं दी जा सकती है, जबकि बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में, लाभार्थी को 5 लाख रुपये की सीमा से अधिक का लाभ मिल सकता है।

इसलिए, मैं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करने और योजना में आने वाली बाधाओं की पहचान करने का अनुरोध करता हूं ताकि देश में समग्र स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार करने से संबंधित कमियों को दूर किया जा सके।

(चौबीस) उत्तर प्रदेश के अमरोहा और हापुड़ जिले में रेत और मिट्टी के अवैध खनन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): लोक सभा क्षेत्र अमरोहा के जनपद अमरोहा एवं हापुड़ में गंगा के दोनों तरफ रेत का अवैध खनन जोरों पर है एवं दोनों जिले अमरोहा व हापुड़ में मिट्टी की अवैध खनन भी चरन पर है। हालात यह हो चुके हैं कि खनन की बढ़ती रफ्तार से क्षेत्र गहरा होता जा रहा है। लेकिन अधिकारी कथित रूप से आंखें मूंदे बैठे हैं। जिसकी वजह से प्रकृति को भारी नुकसान हो रहा है। कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण अवैध खनन जोर पकड़ता जा रहा है। अधिकारी मौके पर पहुंचकर कभी-कभी कुछ डंपरों को सीज तो करते हैं लेकिन खनन माफियाओं के खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं होने के कारण उनके हौंसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। यहाँ रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी अवैध खनन किया जा रहा है।

अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रकृति को भारी नुकसान पहुंचेगा। अतः सरकार से मेरी मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाये।

(पच्चीस) रामनाथपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नारियल उत्पादों के उत्पादन एवं परिरक्षण हेतु एक गोदाम और संयंत्र अथवा एक उन्नत कैनिंग फैक्ट्री की स्थापना के बारे में

[अनुवाद]

श्री के. नवासखनी (रामानाथपुरम): मेरे रामनाथपुरम निर्वाचन-क्षेत्र के कामुथि ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले रामास्वामी पट्टी के ग्रामीणों और मुदुकुलथोर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांवों मरहुयेंधल और तिरुवरंगम में उनके द्वारा उगाई गई मिर्च और अन्य सब्जियों के भंडारण के लिए 100 मीट्रिक टन की क्षमता के गोदाम स्थापित करने का अनुरोध किया है। इससे वे इसका और अधिक परिरक्षण कर सकते हैं और अपनी बिक्री बढ़ा सकते हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिरक्षण सुविधा वाले एक गोदाम की स्थापना के करें । मेरे रामनाथपुरम निर्वाचन-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला अरन्थांगी, नारियल की खेती के लिए एक समृद्ध क्षेत्र है और यहाँ अधिकांश गाँव नारियल की खेती करते हैं।

नारियल के पेड़ों और संबंधित उत्पादों की खेती को और बढ़ावा देने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे नारियल उत्पादों के उत्पादन और परिरक्षण के लिए वहां एक संयंत्र या उन्नत कैनिंग फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आगे आयें।

(छब्बीस) भारत के उच्चतम न्यायालय के परिसर में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने के बारे में

डॉ. थोल तिरुमावलवन (चिदम्बरम): डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री और भारत के संविधान के मुख्य निर्माता थे। स्पष्ट है, वे भारत में कानूनी संस्थानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। दुर्भाग्य से, उन्हें भारत के उच्चतम न्यायालय में पर्याप्त रूप से स्मरण नहीं किया गया है क्योंकि परिसर में डॉ. अम्बेडकर जी की प्रतिमा अभी भी स्थापित नहीं की गई है। उनकी प्रतिमा भारत की संसद के लॉन में देखी जा सकती है। मेरा अनुरोध है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के लॉन में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की एक प्रतिमा स्थापित की जाए।

———————

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्लीज, आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया बैठ जाइये।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति: प्लीज, आप भी बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपा करके आप बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में अनुदानों की मांगों को आज सायं छ: बजे सभा की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही छह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 2.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सायं 6.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———————

<u>सायं 6.00 बजे</u>

लोक सभा सायं 6.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

… (व्यवधान)

(अनुवाद)

माननीय अध्यक्ष: आज वित्त विधेयक पर चर्चा नहीं की जाएगी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप मतदान के लिए अनुदान की माँगों को रखने के बाद बोल सकते हैं।

… (व्यवधान)

सायं 6.01 बजे

केंद्रीय बजट (2023-2024) - अनुदानों की मांगें

सभा की स्वीकृति के लिए शेष बची समस्त अनुदानों की मांगें (गिलोटिन)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आइटम नं. 22

माननीय सदस्यगण, अनुदानों की मांगों के संबंध में अनेक कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, समयाभाव के कारण मैं सभी कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया हुआ मान रहा हूं।

कटौती प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचंद्रन (कोल्लम): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

(सांकेतिक)

कि पर्यटन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 339) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए एक प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता। (1)

देश में पर्यटकों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (2)

देश में पर्यटन केंद्रों तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने के लिए एक प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता। (3)

देश के पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता। (4)

देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग नेटवर्क प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता। (5)

देशभर के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों को जोड़ते हुए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता। (6)

ईको-पर्यटन के विकास के लिए एक प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता। (7)

पारंपरिक कुटीर उद्योग एवं शिल्प पर्यटन के विकास की आवश्यकता। (8)

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विदेशों में भारतीय पर्यटन के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता। (9)

पर्यटन की संभावना वाले क्षेत्रों में बेहतर अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए अधिक धन आवंटित करने की आवश्यकता। (10)

(सांकेतिक)

कि महिला और बाल विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 348) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

बाल कुपोषण की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने की आवश्यकता। (2)

महिलाओं एवं बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता। (3)

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता। (4)

(सांकेतिक)

कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 294) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना प्रवण क्षेत्र में दुर्घटनाओं कि रोकथाम के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। (6)

राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत की निगरानी के लिए एक सशक्त तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। (7)

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता।(8)

इलेक्ट्रिक कारों और बाइक को बढ़ावा देने की आवश्यकता। (9)

मोटर कैब में सुरक्षा नियम सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (10)

जनता की सुविधा के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग द्वारा शुरू किए गए सॉफ्टवेयर के प्रभावी कार्यकरण की आवश्यकता। (11)

(सांकेतिक)

कि वस्त्र मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 333) की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

पार्वती मिल्स, कोल्लम में कर्मचारियों के लाभ से संबंधित मुद्दों के निपटान के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (1)

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अंतर्गत मिलों के पुनरुद्धार के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (2)

नैनो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (3)

कोल्लम में पार्वती मिल्स में नैनो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (4)

पार्वती मिल्स, कोल्लम के पुनरुद्धार के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने की आवश्यकता। (5)

कपड़ा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (6)

(सांकेतिक)

कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 306) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरूवनन्तपुरम, केरल के विकास के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (1)

मूल्यवर्धित समुद्री भोजन के उत्पादन के संबंध में एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (2)

केरल में राजीव गांधी जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान के विकास के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (3)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संस्थाओं में रिक्तियों को भरने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (4)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास के लिए विशेष धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (5)

कि युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 351) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

ग्रामीण क्षेत्रों में युवा सशक्तिकरण के लिए प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता। (2)

(सांकेतिक)

कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 238) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों के लिए एक नीति बनाने की आवश्यकता। (1)

शहरी क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए एक नीति बनाने की आवश्यकता। (2)

कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट से उबरने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए एक प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता। (3)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के पुनरुद्धार के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने की आवश्यकता। (4)

(सांकेतिक)

कि विधि और न्याय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 233) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

नए न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिक धनराशि स्वीकृत करने की आवश्यकता। (1)

भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना हेतु धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (2)

मामलों के समय पर निपटारे के लिए न्यायालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (3)

न्यायालयों में लंबित मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु नई व्यवस्था स्थापित करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (4)

तिरूवनन्तपुरम में एक उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापित करने की आवश्यकता। (5)

(सांकेतिक)

कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 254) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (1)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के लाभों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (2)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को सब्सिडी देने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (3)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने के लिए पर्याप्त धनराशि निर्धारित करने की आवश्यकता। (4)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की आवश्यकता। (5)

(सांकेतिक)

कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 249) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता। (1)

अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक विकास के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (2)

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (3)

अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता। (4)

अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति के नियमित वितरण के लिए अधिक धनराशि निर्धारित करने की आवश्यकता। (5)

(सांकेतिक)

कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 215) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य के नामांकन के लिए योग्यता और अनुभव को रेखांकित करते हुए एक नीति बनाने की आवश्यकता। (1)

किसी फिल्म की सेंसरिंग के लिए लागू निबंधन और शर्तों में ढील देने के लिए एक प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता।(2)

क्षेत्रीय भाषाओं में अधिक फिल्मों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (3)

केरल में राष्ट्रीय फिल्म संस्थान की स्थापना के लिए विशेष धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (4)

(सांकेतिक)

कि पेयजल और स्वच्छता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 226) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हेतु विशेष तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता।(1)

सभी के लिए स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (2)

पेयजल आपूर्ति में सुधार लाने की आवश्यकता। (3)

स्वच्छ पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को लागू करने हेतु एक नीति बनाने की आवश्यकता। (4)

जलापूर्ति योजनाओं को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने की आवश्यकता। (5)

पेयजल सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले तालाबों और खुले कुओं को प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता। (6)

आधुनिक तकनीक लागू करके मौजूदा जल आपूर्ति योजनाओं के विस्तार की आवश्यकता। (7)

ग्रामीण, आदिवासी और तटीय क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की आवश्यकता। (8)

सभी जिलों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता। (9)

जलापूर्ति योजना में पेयजल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता। (10)

(सांकेतिक)

कि कृषि और किसान कल्याण विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 1) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

कृषि विस्तार और अनुसंधान के लिए एक प्रभावी नीति तैयार करने की आवश्यकता। (8)

(सांकेतिक)

कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 41) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

काजू उद्योग सहित पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता।(6)

काजू उद्योग द्वारा लिए गए ऋण को नियमित करने के लिए नीति बनाने की आवश्यकता। (7)

आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत काजू उद्योग को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नीति बनाने की आवश्यकता। (8)

काजू उद्योग को बैंकों सहित वित्तीय संस्थाओं की दंडात्मक कार्रवाई से छूट देने के लिए नीति बनाने की आवश्यकता। (9)

स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और मजबूत करने की आवश्यकता। (10)

काजू उद्योग के व्यापक विकास के लिए विशेष पैकेज घोषित करने की आवश्यकता। (11)

काजू उद्योग द्वारा लिए गए बैंक ऋण पर अधिस्थगन की घोषणा करने की आवश्यकता। (12)

काजू उद्योग को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) के अंतर्गत कार्रवाई से बचाने के लिए एक कार्यक्रम घोषित करने की आवश्यकता। (13)

काजू कामगारों के लिए विशेष पैकेज हेतु धनराशि प्रदान करने की आवश्यकता। (14)

काजू के आयात-निर्यात के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराने तथा नई नीति घोषित करने की आवश्यकता। (15)

(सांकेतिक)

कि उपभोक्ता मामले विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 54) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नियामक तंत्र शुरू करने हेतु एक नीति बनाने की आवश्यकता। (1)

स्टार्टअप को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने की आवश्यकता। (2)

(सांकेतिक)

कि संस्कृति मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 67) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

भारत में संस्कृति की विविधता के संरक्षण की आवश्यकता। (2)

प्राचीन भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता। (3)

विभिन्न कला रूपों के कलाकारों और तकनीशियनों का कल्याण सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (4)

विदेशों में भारतीय कला विधाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता। (5)

लोक कलाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता। (6)

गरीब और योग्य कलाकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (7)

कलाकारों को अविलंब पेंशन वितरण के लिए प्रभावी तंत्र बनाने की आवश्यकता।(8)

क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप के विकास हेतु धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (9)

मलयालम भाषा को बढ़ावा देने के लिए धनराशि प्रदान करने की आवश्यकता। (10)

(सांकेतिक)

कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 89) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

ग्रामीण शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। (3)

(सांकेतिक)

कि मत्स्यपालन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 155) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

मछली प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता। (1)

(सांकेतिक)

कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 162) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता।(10)

गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए एक प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता। (11)

मातृ और शिशु को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एक प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता। (12)

आदिवासियों और मछुआरों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एक प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता। (13)

ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन और अवसंरचना बनाए रखने के लिए एक प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता। (14)

स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता। (15)

मेडिकल कॉलेजों में अवसंरचना में सुधार के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (16)

जिला अस्पतालों के अवसंरचना विकास के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (17)

(सांकेतिक)

कि स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 171) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में सुधार के लिए एक प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता। (32)

(सांकेतिक)

कि गृह मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 176) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

विदेशी पर्यटकों के लिए वीज़ा प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता। (4)

(नीति निरनुमोदन)

कि संस्कृति मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 67) की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

कला की विभिन्न विधाओं में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को सरकारी संस्थानों में निःशुल्क प्रशिक्षण देने हेतु प्रभावी नीति बनाने में विफलता। (1)

(नीति निरनुमोदन)

कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 162) की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कैंसर और अन्य असाध्य बीमारियों के उपचार के लिए निःशुल्क और अन्य लोगों को उचित और किफायती मूल्य पर दवाएँ उपलब्ध कराने के लिए एक प्रभावी नीति बनाने में विफलता। (1)

निजी अस्पतालों में उपचार की लागत को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने में विफलता। (2)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग): मैं प्रस्ताव करती हूँ:

(सांकेतिक)

कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 89) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

तारकेश्वर में केंद्रीय विद्यालय के लिए धनराशि आवंटित करने की और भवन निर्माण करने की आवश्यकता। (2)

(सांकेतिक)

कि महिला और बाल विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग 101 (पृष्ठ संख्या 348) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने की आवश्यकता। (1)

(सांकेतिक)

कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 294) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

पश्चिम बंगाल के हुगली, हावड़ा और मेदनीपुर जिले को जोड़ने के लिए रूपनारायण नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (1)

मुंडेश्वरी नदी पर गणेशपुर और नतीबपुर पुल के बीच एक कंक्रीट पुल के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (2)

राजमार्गों पर मिट्टी के कचरे को हटाने के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (3)

(सांकेतिक)

कि नागर विमानन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 30) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में हवाई अड्डों के विकास और घरेलू विमान सेवाओं के विस्तार के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (1)

(सांकेतिक)

कि गृह मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 176) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

बाढ़ में अपना सब कुछ गंवाने वाले आरामबाग निर्वाचन-क्षेत्र के सभी बेघरों को घर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। (1)

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) के लिए धनराशि का आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता (2)

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के लिए धनराशि का अनिवार्य आवंटन सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (3)

(सांकेतिक)

कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 162) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

डॉक्टरों की कमी को दूर करने की आवश्यकता। (5)

निजी अस्पताल द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों को नियंत्रित और विनियमित करने और निजी अस्पतालों द्वारा सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (6)

डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाएं लिखना अनिवार्य करने की आवश्यकता। (7)

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (8)

देश विशेषकर आरामबाग संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत डॉक्टरों की उपस्थिति और जीवन रक्षक दवाओं का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (9)

(सांकेतिक)

कि श्रम और रोजगार मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 229) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

जलपाईगुड़ी के चाय कामगारों को धनराशि और उपदान का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (1)

(सांकेतिक)

कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 316) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराने और योजनाएं शुरू करने की आवश्यकता।(1)

(सांकेतिक)

कि युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 351) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

ग्रामीण क्षेत्रों विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए खेल अवसंरचना के विकास हेतु अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (1)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): मैं प्रस्ताव करता हूँ :

(सांकेतिक)

कि कृषि और किसान कल्याण विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 1) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

केरल में कुट्टनाड के धान किसानों के लिए एक विशेष पैकेज प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि बाढ़, धान के खेतों में पानी भरने और जल जमाव के कारण फसल के नुकसान से होने वाली उनकी आर्थिक कठिनाई को कम किया जा सके। (1)

चावल की विशेष किस्मों और धान के बीजों की सुरक्षा के लिए केरल में कुट्टनाड के धान किसानों को एक विशेष पैकेज प्रदान करने की आवश्यकता। (2)

किसानों को धान खरीद मूल्य के भुगतान के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करके केरल में धान किसानों के संकट को कम करने की आवश्यकता। (3)

(सांकेतिक)

कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 57) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

प्रत्येक पी.डी.एस. ग्राहक को दाल, गेहूं, चावल, बाजरा की राशन आपूर्ति की मात्रा बढ़ाने के लिए धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (3)

केरल के कुट्टनाड तालुक में धान भंडारण के लिए अत्याधुनिक गोदामों के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता।(4)

कटाई के बाद धान के तत्काल भंडारण और धान को भीगने और सड़ने से बचाने के लिए धान के खेतों के पास अनाज साइलो के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (5)

(सांकेतिक)

कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 86) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

केरल में कोल्लम जिले के मुनरोथुरुथु द्वीप में भूस्खलन के बारे में विशेषज्ञ वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (1)

(सांकेतिक)

कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 89) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

कोट्टाराक्कारा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (1)

(सांकेतिक)

कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 108) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

केरल में वन क्षेत्रों के पास पशु-मानव संपर्क को रोकने के लिए आधुनिक बाड़ और पशुओं के लिए मार्गों के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (1)

केरल में जंगली जानवरों के हमलों से पीड़ितों को मुआवजा देने और उनके पुनर्वास के लिए एक समग्र निधि आवंटित करने की आवश्यकता। (2)

(सांकेतिक)

कि विदेश मंत्रालय के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 113) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

मावेलीक्करा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (1)

(सांकेतिक)

कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 162) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

केरल के अलप्पुझा जिले के चेंगन्नूर तालुक में एम्स की स्थापना के लिए धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता।(3)

चेंगन्नूर में मौजूदा जिला अस्पताल की अवसंरचना को बढ़ाकर एक आधुनिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (4)

श्री एम. के. राघवन (कोझिकोड): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

(सांकेतिक)

कि नागर विमानन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 30) की राशि में 100 रुपये कम किये जाएं।

नागर विमानन में पूंजीगत परिव्यय के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (7)

कालीकट विमान पत्तन के चौड़ीकरण, विस्तार और समग्र विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (8)

कालीकट अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन पर बड़े आकार के विमानों की लैंडिंग की सुविधा के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (9)

कालीकट अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन के लिए अधिक उड़ान कनेक्टिविटी के लिए अवसंरचना के विकास के लिए धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (10)

(सांकेतिक)

कि वाणिज्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 36) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

मसाला बोर्ड, कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (4)

कोझिकोड से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (5)

(सांकेतिक)

कि डाक विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 47) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (1)

डाकघरों में अधिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (2)

डाकघरों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने के लिए धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (3)

डाकघर की कुछ बचत संबंधी योजनाओं में प्रत्येक भारतीय का समावेश सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (4)

(सांकेतिक)

कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 57) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

नागरिक आपूर्ति के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (8)

(सांकेतिक)

कि रेल मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 289) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

कोझिकोड और बेंगलुरु, कोझिकोड और चेन्नई, और कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (81)

कोझिकोड रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण में तेजी लाने की आवश्यकता । (82)

वेस्ट हिल और कन्नूर में पिट स्टॉप और यार्ड की आवश्यकता। (83)

कोझिकोड और बेंगलुरु के बीच बेहतर रेल कनेक्टिविटी की आवश्यकता।(84)

रेलवे में वरिष्ठ नागरिक रियायतों को बहाल करने की आवश्यकता।(85)

फेरोक, वेस्ट हिल और वेल्लायिल रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आवश्यकता। (86)

फेरोक-अंगादीपुरम रेललाइन परियोजना के लिए धन आवंटन करने कि आवश्यकता। (87)

तिरुन्नवया-गुरुवायूर रेल लाइन निर्माण के लिए धनराशि की आवश्यकता। (88)

रामेश्वरम-कोझिकोड रेल लिंक के निर्माण की आवश्यकता।(89)

मालाबार क्षेत्र में और अधिक ट्रेनों की आवश्यकता। (90)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

(सांकेतिक)

कि कृषि और किसान कल्याण विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 1) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाने की आवश्यकता। (4)

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीद संबंधी शर्तें हटाकर किसानों की पूरी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की आवश्यकता। (5)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राजस्थान के विभिन्न जिलों में बीमा कंपनियों से किसानों को उचित एवं पूर्ण दावे का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता।(6)

राजस्थान की विशेष फसलों यथा मोठ, ग्वार, ईसबगोल, धनिया, जीरा और लहसुन आदि को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में शामिल करने कि आवश्यकता (7)

(सांकेतिक)

कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 6) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

राजस्थान के नागौर जिले में केन्द्रीय शुष्क भूमि कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता। (9)

(सांकेतिक)

कि उर्वरक विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 23) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

सभी राज्यों को उनकी मांग के अनुसार उर्वरकों की समय पर आपूर्ति के लिए नीति बनाने की आवश्यकता।(1)

(सांकेतिक)

कि औषध विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 26) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

राजस्थान में प्रधान मंत्री जन औषधि केन्द्र की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। (2)

नकली दवाओं के कारोबार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता। (3)

(सांकेतिक)

कि नागर विमानन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 30) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

नागौर शहर में हवाई पट्टी विस्तार के लम्बित प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता।(2)

जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर और उदयपुर से दिल्ली और देश के अन्य शहरों के लिए नियमित उड़ानों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। (3)

बाड़मेर से दिल्ली और जयपुर से बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर के लिए विमान सेवा शुरू करने की आवश्यकता। (4)

रणनीतिक, धार्मिक एवं व्यापारिक पहलुओं आदि को ध्यान में रखते हुए नागौर जिला मुख्यालय पर हवाई पट्टी का विस्तार कर नागौर से विमान सेवा शुरू करने की आवश्यकत। (5)

रणनीतिक, धार्मिक एवं व्यापारिक पहलुओं आदि को ध्यान में रखते हुए नागौर से जयपुर एवं देश के अन्य शहरों के लिए विमान सेवा शुरू करने की आवश्यकता। (6)

(सांकेतिक)

कि वाणिज्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 36) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

मसाला वस्तुओं में नागौरी पान मेथी को शामिल करने की आवश्यकता।(1)

नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उत्पादित पान मेथी को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान करने की आवश्यकता। (2)

नागौर जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर का संगमरमर बाजार स्थापित करने की आवश्यकता। (3)

(सांकेतिक)

कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 57) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

नागौर सहित राजस्थान में अनाज के भंडारण के लिए गोदामों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता।(6)

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार वंचित लोगों को शामिल करने की आवश्यकता। (7)

(सांकेतिक)

कि संस्कृति मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 67) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता। (11)

नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विज्ञान एवं संस्कृति संग्रहालय के निर्माण के लिए कार्य योजना बनाने की आवश्यकता। (12)

(सांकेतिक)

कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 160) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

नागौर में मेगा फूड पार्क विकसित करने के लिए विशेष धनराशि जारी करने की आवश्यकता। (1)

मंत्रालय के माध्यम से गांवों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए विशेष योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता। (2)

(सांकेतिक)

कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 162) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

नागौर जिला मुख्यालय पर सी.जी.एच.एस. औषधालय खोलने की आवश्यकता। (18)

देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक नीति बनाने की आवश्यकता। (19)

राजस्थान के नागौर सहित सम्पूर्ण देश में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए स्थानीय सांसदों की अध्यक्षता में विशेष समितियां गठित करने की आवश्यकता। (20)

मस्कुलर एट्रोफी और डिस्ट्रोफी सहित गंभीर बीमारियों के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं का उत्पादन भारत में शुरू करने की आवश्यकता। (21)

गरीब मरीजों को सर्जरी, प्रत्यारोपण आदि के लिए उपयोगी चिकित्सा उपकरण कम दरों पर या निःशुल्क उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (22)

(सांकेतिक)

कि भारी उद्योग मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 173) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

नमक के उत्पादन के लिए सांभर साल्ट लिमिटेड के अंतर्गत भूमि को संरक्षित करने की आवश्यकता। (1)

नागौर विधानसभा क्षेत्र के नमक प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए सांभर साल्ट लिमिटेड के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) या अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत करने की आवश्यकता।(2)

(सांकेतिक)

कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 208) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में *झुग्गियों* और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले नागरिकों को *पक्के मकान* उपलब्ध कराने की आवश्यकता।(1)

राजस्थान के नागौर जिले के सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता।(2)

राजस्थान में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चुने हुए शहरों में लंबित कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता। (3)

(सांकेतिक)

कि खान मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 246) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

राजस्थान में नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन और लिथियम का खनन फिर से शुरू करने की आवश्यकता। (1)

राजस्थान सहित देश में किसानों को उनकी जोत पर खनन के लिए छोटे पट्टे देने की नीति बनाने की आवश्यकता। (2)

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डी.एम.एफ.टी.) में स्थानीय सांसद को अध्यक्ष नियुक्त करने हेतु नीति बनाने की आवश्यकता। (3)

वैध खनन की आड़ में बजरी की मनमानी दरों की वसूली पर अंकुश लगाने की आवश्यकता।(4)

(सांकेतिक)

कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 262) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की आवश्यकता। (1)

केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की आवश्यकता। (2)

(सांकेतिक)

कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 294) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण से संबंधित प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता। (4)

नागौर शहर के बाहरी इलाके में निर्मित रिंग रोड की कथित घटिया गुणवत्ता के लिए इंजीनियरों और कार्यान्वयन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता। (5)

(सांकेतिक)

कि पर्यटन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 339) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्यटन परिपथ को विकसित करने की आवश्यकता। (11)

नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के खरनाल गांव में स्थित लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के मंदिर को विकास एवं अन्य कार्यों के लिए स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल करने की आवश्यकता। (12)

नागौर सहित राजस्थान के सभी जिलों में स्थानीय महत्व के स्थलों एवं स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाने की आवश्यकता। (13)

(सांकेतिक)

कि युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 351) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

नागौर जिला मुख्यालय में युवा छात्रावास भवन के निर्माण के लिए बजट जारी करने की आवश्यकता। (3)

नागौर में केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय को मंजूरी देने की आवश्यकता। (4)

खेलो इंडिया, ग्रामीण और स्वदेशी जनजातीय खेल योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया में रस्साकशी खेल को शामिल करने की आवश्यकता। (5)

पर्वतारोहियों को दस लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान करने की आवश्यकता। (6)

(सांकेतिक)

कि योजना मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 270) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

राजस्थान सहित देश के प्रत्येक राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को उनकी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप मंजूरी देने की और क्रियान्वित करने की आवश्यकता। (1)

(सांकेतिक)

कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 298) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

गांवों में कृषि उपज के अनुरूप उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता।(34)

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजना लागू करने की आवश्यकता।(35)

डॉ. डी. रविकुमार (विलुपुरम):मैं प्रस्ताव करता हूँ:

(सांकेतिक)

कि रेल मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 289) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

वंदे भारत एक्सप्रेस को विलुपुरम से होकर चलाने और स्टेशन पर ठहराव प्रदान करने की आवश्यकता। (91)

तेजस एक्सप्रेस को विलुपुरम में रोकने की आवश्यकता।(92)

उलुंदुरपेट रेलवे स्टेशन को विकसित करने की आवश्यकता। (93)

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

(सांकेतिक)

कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 162) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

देश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में डॉक्टरों की सभी रिक्तियों को भरने की आवश्यकता।(23)

डॉक्टरों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के दायरे से हटाने की आवश्यकता। (24)

बिहार के गोपालगंज जिले में तत्काल एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की आवश्यकता। (25)

देश के सभी सी.जी.एच.एस. केंद्रों में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता।(26)

बिहार के गोपालगंज जिले के सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के रूप में उन्नत करने की आवश्यकता।(27)

एम्स, पटना में डॉक्टरों की रिक्तियों को भरने की आवश्यकता।(28)

बिहार के गोपालगंज जिले में एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता। (29)

बिहार में गोपालगंज जिले के लिए पहले से स्वीकृत मेडिकल कॉलेज की स्थापना में तेजी लाने की आवश्यकता। (30)

बिहार के गोपालगंज जिले में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (31)

(सांकेतिक)

कि पर्यटन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ संख्या 339) की राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं।

स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बिहार के गोपालगंज के थावे पीठ (मंदिर) को विकसित करने की आवश्यकता। (14)

बिहार के गोपालगंज के थावे पीठ (मंदिर) को ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता। (15)

पर्यटन के विकास के लिए बिहार के लिए स्वीकृत धनराशि जारी करना सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (16)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जैसी कि परंपरा रही है, अब मैं उन सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा के सामने मतदान के लिए रखूंगा जिन्हें पेश किया गया माना गया है।

<u>कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।</u>

… (व्यवधान)

<u>सायं 6.02 बजे</u>

इस समय श्री बी. मनिक्कम टैगोर, श्री अनुभव मोहंती, श्री रवनीत सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब मैं मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों की बकाया मांगों को सभा के सामने मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित मांग संख्याओं के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

1. कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 और 2;

2. परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 3;

3. आयुष मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 4;

4. रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5 से 7;

5. नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 8;

6. कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9;

7. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10 और 11;

8. संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 12 और 13;

9. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 14 और 15;

10. सहकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16;

11. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 17;

12. संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18;

13. रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 19 से 22;

14. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23;

15. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 24;

16. शिक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 25 और 26;

17. इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 27;

18. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28;

19. विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29;

20. वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 30 से 38, 41 और 42;

21. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 43 और 44;

22. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 45;

23. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46 और 47;

24. भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 48;

25. गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 49 से 59;

(26) आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60;

(27) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61;

(28) जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62 और 63;

(29) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64;

(30) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65 और 66;

(31) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68;

(32) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69;

(33) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70;

(34) नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71;

(35) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72;

(36) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73;

(37) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74;

(38) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76;

(39) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 77;

(40) पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 78;

(41) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 79;

(42) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 81;

(43) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 82;

(44) उप-राष्ट्रपति का सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 83;

(45) रेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 85;

(46) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 86;

(47) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 87 और 88;

(48) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 89 से 91;

(49) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92,

(50) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 93 और 94;

(51) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संबंधित मांग संख्या 95;

(52) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 96,

(53) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 97;

(54) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 98;

(55) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 99;

(56) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 100;

(57) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 101; और

(58) युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 102;

लोक सभा LOK SABHA

लोक सभा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2023-2024 के केंद्रीय बजट की अनुदानों की मांगें की सूची (दिनांक .... के लिए कार्य सूची के अनुसार)

List of Demands for Grants of Union Budget for 2023-2024 to be submitted to the Vote of the House Lok Sabha (Vide List of Business for ....)

मांग संख्या और शीर्षक मांगों के नाम	No. and Title of the Demand	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि / Amount of Demand for Grant to be submitted to the Vote of the House Lok Sabha	
1	2	3	
		राजस्व Revenue ₹	पूंजी Capital ₹
कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय	Ministry of Agriculture and Farmers Welfare		
1 कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture and Farmers Welfare	115483,37,00,000	42,42,00,000
2 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education	9495,59,00,000	10,41,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग	Department of Atomic Energy		
3 परमाणु ऊर्जा	3 Atomic Energy	17475,46,00,000	17773,03,00,000
आयुष मंत्रालय	Ministry of AYUSH		
4 आयुष मंत्रालय	4 Ministry of Ayush	3641,50,00,000	5,94,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	Ministry of Chemicals and Fertilisers		
5 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	5 Department of Chemicals and Petrochemicals	172,55,50,000	90,00,000
6 उर्वरक विभाग	6 Department of Fertilisers	179125,79,00,000	2,69,00,000
7 भेषज विभाग	7 Department of Pharmaceuticals	3158,87,00,000	1,19,00,000
नागर विमानन मंत्रालय	Ministry of Civil Aviation		
8 नागर विमानन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation	3026,70,00,000	86,66,00,000
कोयला मंत्रालय	Ministry of Coal		
9 कोयला मंत्रालय	9 Ministry of Coal	640,77,00,000	1,55,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	Ministry of Commerce and Industry		
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce	5215,93,00,000	38,15,00,000
11 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade	6548,93,00,000	1651,70,00,000
संचार मंत्रालय	Ministry of Communications		
12 डाक विभाग	12 Department of Posts	39155,26,00,000	1396,95,00,000
13 दूरसंचार विभाग	13 Department of Telecommunications	41461,43,00,000	66691,82,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution		
14 उपभोक्ता मामले विभाग	14 Department of Consumer Affairs	259,59,00,000	28,07,00,000
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution	205363,57,00,000	25150,37,00,000
सहकारिता मंत्रालय	Ministry of Cooperation		
16 सहकारिता मंत्रालय	16 Ministry of Cooperation	1149,28,00,000	1,00,00,000
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	Ministry of Corporate Affairs		
17 कारपोरेट कार्य मंत्रालय	17 Ministry of Corporate Affairs	734,19,00,000	42,00,00,000
संस्कृति मंत्रालय	Ministry of Culture		
18 संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture	3114,25,00,000	285,40,00,000
रक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence		
19 रक्षा मंत्रालय (सिविल)	19 Ministry of Defence (Civil)	37068,72,00,000	8829,79,00,000
20 रक्षा सेवाएं (राजस्व)	20 Defence Services (Revenue)	270131,99,00,000	
21 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21 Capital Outlay on Defence Services		162484,58,00,000
22 रक्षा पेंशन	22 Defence Pensions	138205,12,00,000	
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	Ministry of Development of North Eastern Region		
23 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	23 Ministry of Development of North Eastern Region	1798,75,00,000	4093,25,00,000
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	Ministry of Earth Sciences		
24 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	24 Ministry of Earth Sciences	2650,57,00,000	671,81,00,000
शिक्षा मंत्रालय	Ministry of Education		
25 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	25 Department of School Education and Literacy	104804,30,00,000	55,00,000
26 उच्चतर शिक्षा विभाग	26 Department of Higher Education	50082,10,00,000	12,52,00,000
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	Ministry of Electronics and Information Technology		
27 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	27 Ministry of Electronics and Information Technology	16180,36,00,000	368,68,00,000
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	Ministry of Environment, Forests and Climate Change		
28 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	28 Ministry of Environment, Forests and Climate Change	3575,27,00,000	135,18,00,000

2

1	2	3	
		राजस्व Revenue ₹	पूंजी Capital ₹
विदेश मंत्रालय	Ministry of External Affairs		
29 विदेश मंत्रालय	29 Ministry of External Affairs	14534,76,00,000	1529,21,00,000
वित्त मंत्रालय	Ministry of Finance		
30 आर्थिक कार्य विभाग	30 Department of Economic Affairs	4909,09,00,000	8227,45,00,000
31 व्यय विभाग	31 Department of Expenditure	589,26,00,000	128,08,00,000
32 वित्तीय सेवा विभाग	32 Department of Financial Services	1182,35,00,000	262,31,00,000
33 लोक उद्यम विभाग	33 Department of Public Enterprises	32,15,00,000	90,00,000
34 निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम)	34 Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM)	91,46,00,000	1,46,00,000
35 राजस्व विभाग	35 Department of Revenue	139707,53,00,000	119,84,00,000
36 प्रत्यक्ष कर	36 Direct Taxes	8282,87,00,000	1610,00,00,000
37 अप्रत्यक्ष कर	37 Indirect Taxes	36305,38,00,000	2205,00,00,000
38 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	38 Indian Audit and Accounts Department	5770,60,00,000	142,76,00,000
41 पेंशन	41 Pensions	72201,00,00,000	
42 राज्यों को अंतरण	42 Transfers to States	39340,01,00,000	128000,02,00,000
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying		
43 मत्स्यपालन विभाग	43 Department of Fisheries	2238,37,00,000	20,40,00,000
44 पशुपालन और डेयरी कार्य विभाग	44 Department of Animal Husbandry and Dairying	4645,09,00,000	18,76,00,000
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	Ministry of Food Processing Industries		
45 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	45 Ministry of Food Processing Industries	3285,19,00,000	2,46,00,000
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	Ministry of Health and Family Welfare		
46 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	46 Department of Health and Family Welfare	99182,46,01,000	3500,34,00,000
47 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	47 Department of Health Research	2979,30,00,000	80,00,000
भारी उद्योग मंत्रालय	Ministry of Heavy Industries		
48 भारी उद्योग विभाग	48 Ministry of Heavy Industries	6145,32,00,000	26,31,00,000
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs		
49 गृह मंत्रालय	49 Ministry of Home Affairs	5872,44,00,000	428,67,00,000
50 मंत्रिमंडल	50 Cabinet	569,18,00,000	289,30,00,000
51 पुलिस	51 Police	117774,96,00,000	11539,20,00,000
52 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	52 Andaman and Nicobar Islands	5541,95,00,000	505,18,00,000
53 चंडीगढ़	53 Chandigarh	4920,26,00,000	672,01,00,000
54 दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	54 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	1583,86,00,000	948,14,00,000
55 लद्दाख	55 Ladakh	2818,33,00,000	3145,92,00,000
56 लक्षद्वीप	56 Lakshadweep	1136,02,00,000	265,48,00,000
57 दिल्ली को अंतरण	57 Transfers to Delhi	1168,00,00,000	1,00,000
58 जम्मू और कश्मीर को अंतरण	58 Transfers to Jammu and Kashmir	35581,44,00,000	
59 पुडुचेरी को अंतरण	59 Transfers to Puducherry	3117,76,00,000	1,00,000
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	Ministry of Housing and Urban Affairs		
60 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	60 Ministry of Housing and Urban Affairs	50474,00,00,000	29568,05,00,000
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	Ministry of Information and Broadcasting		
61 सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	61 Ministry of Information and Broadcasting	4061,16,00,000	70,84,00,000
जल शक्ति मंत्रालय	Ministry of Jal Shakti		
62 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	62 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	14738,21,01,000	380,48,00,000
63 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	63 Department of Drinking Water and Sanitation	77221,80,00,000	1,20,00,000
श्रम और रोजगार मंत्रालय	Ministry of Labour and Employment		
64 श्रम और रोजगार मंत्रालय	64 Ministry of Labour and Employment	13183,86,00,000	17,87,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय	Ministry of Law and Justice		
65 विधि और न्याय	65 Law and Justice	2230,65,00,000	1944,35,00,000
66 निर्वाचन आयोग	66 Election Commission	312,00,00,000	28,00,00,000
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises		
68 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	68 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	21541,43,00,000	594,32,00,000
खान मंत्रालय	Ministry of Mines		
69 खान मंत्रालय	69 Ministry of Mines	2254,44,00,000	77,12,00,000
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	Ministry of Minority Affairs		
70 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	70 Ministry of Minority Affairs	3032,40,20,000	65,00,00,000
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	Ministry of New and Renewable Energy		
71 नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	71 Ministry of New and Renewable Energy	17717,31,00,000	11,62,00,000

3

1	2	3	
		राजस्व Revenue ₹	पूंजी Capital ₹
पंचायती राज मंत्रालय	Ministry of Panchayati Raj		
72 पंचायती राज मंत्रालय	72 Ministry of Panchayati Raj	993,27,00,000	23,15,00,000
संसदीय कार्य मंत्रालय	Ministry of Parliamentary Affairs		
73 संसदीय कार्य मंत्रालय	73 Ministry of Parliamentary Affairs	59,00,00,000	4,00,00,000
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions		
74 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	74 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	1510,39,00,000	202,35,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	Ministry of Petroleum and Natural Gas		
76 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	76 Ministry of Petroleum and Natural Gas	5491,74,00,000	15508,98,00,000
योजना मंत्रालय	Ministry of Planning		
77 योजना मंत्रालय	77 Ministry of Planning	805,71,00,000	18,66,00,000
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	Ministry of Ports, Shipping and Waterways		
78 पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways	1510,53,00,000	1198,21,00,000
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power		
79 विद्युत मंत्रालय	79 Ministry of Power	21734,55,00,000	16,80,00,000
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	The President, Parliament, Union Public Service Commission and the Secretariat of the Vice President		
81 लोक सभा	81 Lok Sabha	785,21,00,000	35,17,00,000
82 राज्य सभा	82 Rajya Sabha	472,31,00,000	10,06,00,000
83 उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	83 Secretariat of the Vice-President	9,13,00,000	21,00,000
रेल मंत्रालय	Ministry of Railways		
85 रेल मंत्रालय	85 Ministry of Railways	330567,42,00,000	440409,78,00,000
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	Ministry of Road Transport and Highways		
86 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	86 Ministry of Road Transport and Highways	23574,23,00,000	321293,73,00,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय	Ministry of Rural Development		
87 ग्रामीण विकास विभाग	87 Department of Rural Development	256541,48,00,000	3,52,00,000
88 भूमि संसाधन विभाग	88 Department of Land Resources	2417,97,00,000	1,26,00,000
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	Ministry of Science and Technology		
89 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	89 Department of Science and Technology	7843,35,00,000	88,30,00,000
90 जैव प्रौद्योगिकी विभाग	90 Department of Biotechnology	2683,86,00,000	—
91 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	91 Department of Scientific and Industrial Research	5737,05,00,000	9,46,00,000
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	Ministry of Skill Development and Entrepreneurship		
92 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	92 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	3418,07,00,000	99,24,00,000
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	Ministry of Social Justice and Empowerment		
93 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	93 Department of Social Justice and Empowerment	13117,11,00,000	140,05,00,000
94 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	94 Department of Empowerment of Persons with Disabilities	1224,99,00,000	1,06,00,000
अंतरिक्ष विभाग	Department of Space		
95 अंतरिक्ष विभाग	95 Department of Space	6186,50,00,000	6356,41,00,000
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	Ministry of Statistics and Programme Implementation		
96 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	96 Ministry of Statistics and Programme Implementation	5409,93,00,000	35,48,00,000
इस्पात मंत्रालय	Ministry of Steel		
97 इस्पात मंत्रालय	97 Ministry of Steel	67,92,00,000	2,17,00,000
वस्त्र मंत्रालय	Ministry of Textiles		
98 वस्त्र मंत्रालय	98 Ministry of Textiles	4562,33,00,000	16,81,00,000
पर्यटन मंत्रालय	Ministry of Tourism		
99 पर्यटन मंत्रालय	99 Ministry of Tourism	2400,00,00,000	
जनजातीय कार्य मंत्रालय	Ministry of Tribal Affairs		
100 जनजातीय कार्य मंत्रालय	100 Ministry of Tribal Affairs	7500,04,00,000	26,93,00,000
महिला और बाल विकास मंत्रालय	Ministry of Women and Child Development		
101 महिला और बाल विकास मंत्रालय	101 Ministry of Women and Child Development	25943,67,00,000	5,06,00,000
युवा मामले और खेल मंत्रालय	Ministry of Youth Affairs and Sports		
102 युवा मामले और खेल मंत्रालय	102 Ministry of Youth Affairs and Sports	3389,56,00,000	7,76,00,000
जोड़ राजस्व / पूंजी	~~TOTAL REVENUE/CAPITAL~~	2870572,89,00,000	1293837,06,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी कृपया अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए। यह अच्छी परम्परा नहीं है।

(व्यवधान)

सायं 6.09 बजे

विनियोग विधेयक, 2023[6*]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर – 23, माननीय वित्त मंत्री जी।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री(श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> **"**कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।**"**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[6*]भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 23.3.2023 में प्रकाशित

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित[7#] करती हूं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर - 24, माननीय वित्त मंत्री जी।

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

> “कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।“

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> **"**कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।**"**

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

[7#] राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

प्रश्न यह है :

'कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

'कि विधेयक पारित किया जाए।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2023 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

सायं 6.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 / 3 चैत्र, 1945 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2023 लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित